इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 50] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 दिसम्बर 2016—अग्रहायण 18, शक 1938

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुर:स्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 नवम्बर 2016

क्र. ई-5-564-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती वीरा राणा, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग को दिनांक 23 दिसम्बर 2016 से 10 जनवरी 2017 तक, उन्नीस दिन का चाइल्ड केयर अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्रीमती वीरा राणा की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री विनोद सेमवाल, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती वीरा राणा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती वीरा राणा द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री विनोद सेमवाल उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती वीरा राणा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती वीरा राणा अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.

भोपाल, दिनांक 18 नवम्बर 2016

क्र. ई-5-910-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती षणमुख प्रिया मिश्रा, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, हरदा को दिनांक 5 से 25 सितम्बर 2016 तक, इक्कीस दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्रीमती षणमुख प्रिया मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती षणमुख प्रिया मिश्रा अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं

क्र. ई-5-1005-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री संजय गुप्ता, आयएएस., विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, कलेक्टर कार्यालय, जबलपुर को दिनांक 28 नवम्बर से 9 दिसम्बर 2016 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 27 नवम्बर एवं 10, 11 दिसम्बर 2016 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री संजय गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय गुप्ता, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 21 नवम्बर 2016

क्र. ई-1-352-2016-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारियों को अपर/उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय पदस्थ किया गया है, को आगामी आदेश तक उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए विभाग में पदस्थ किया जाता है:—

क्र.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	विभाग का नाम
(1)	(2)	(3)
1	श्री पन्नालाल सोलंकी (2003), अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन.	अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग.
2	श्री प्रकाश चन्द्र जांगरे (2004), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग तथा जनशिकायत निवारण विभाग (अतिरिक्त प्रभार).
3	श्री शेखर वर्मा (2005), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग.

क्र. ई-5-720-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 21 नवम्बर 2016 के संदर्भ में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश द्वारा दूरभाष पर दी गई सहमति के क्रम में श्री गुलशन बामरा, आयएएस., आयुक्त, जबलपुर संभाग को दिनांक 22 से 26 नवम्बर 2016 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 27 नवम्बर 2016 का सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री गुलशन बामरा की अवकाश अवधि में आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर तथा शहडोल संसदीय निर्वाचन के लिए निर्वाचन संबंधी कार्य (कानून व्यवस्था, सामग्री, मेन पॉवर, वाहनों इत्यादि की व्यवस्था) आदि का प्रभार श्री के. पी. राही, भाप्रसे, अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग जबलपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री गुलशन बामरा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, जबलपुर संभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री गुलशन बामरा द्वारा आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री के. पी.राही, भाप्रसे उक्त के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री गुलशन बामरा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गुलशन बामरा, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 2016

क्र. ई-5-560-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मोहम्मद सुलेमान, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग को दिनांक 7 दिसम्बर 2016 को शासकीय रूप से मस्कट ओमान में इन्वेस्ट इन इंडिया सेमीनार में भाग लेने के अनुक्रम में दिनांक 5, 6 एवं 8, 9 दिसम्बर 2016 कुल चार दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री मोहम्मद सुलेमान की अवकाश अवधि में उनके कार्य का प्रभार श्री व्ही. एल. कांताराव, प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग, विकअ-सह-आयुक्त, उद्योग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र निगम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री मोहम्मद सुलेमान को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश

शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री मोहम्मद सुलेमान द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री व्ही. एल. कांताराव उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री मोहम्मद सुलेमान को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मोहम्मद सुलेमान अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-644-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री संजय कुमार शुक्ल, आयएएस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पावर मेनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग को दिनांक 21 से 31 दिसम्बर 2016 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री संजय कुमार शुक्ल, आयएएस., को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पावर मेनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री संजय कुमार शुक्ल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय कुमार शुक्ल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई.-5-671-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्रीमती दीपाली रस्तोगी, आयएएस., आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण तथा आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण को दिनांक 12 से 21 दिसम्बर 2016 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 10, 11 दिसम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्रीमती दीपाली रस्तोगी की अवकाश की अवधि में आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण तथा आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण का प्रभार श्री राकेश श्रीवास्तव, भाप्रसे, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश कृषि विपणन बोर्ड-सह-आयुक्त, मण्डी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती दीपाली रस्तोगी, आयएएस., को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण तथा आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती दीपाली रस्तोगी द्वारा आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण तथा आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राकेश श्रीवास्तव उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती रस्तोगी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रस्तोगी, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई.-5-687-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री नीतेश कुमार व्यास, आयएएस., आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग को दिनांक 14 से 16 दिसम्बर 2016 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 13 एवं 17, 18 दिसम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री नीतेश कुमार व्यास की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री मनु श्रीवास्तव, भाप्रसे, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम तथा विकअ-सह-आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री नीतेश कुमार व्यास को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, मध्यप्रदेश, गृह निर्माण मण्डल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री नीतेश कुमार व्यास द्वारा आयुक्त, मध्यप्रदेश, गृह निर्माण मण्डल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मनु श्रीवास्तव उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री नीतेश कुमार व्यास को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नीतेश कुमार व्यास, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-948-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) डॉ. अरूणा गुप्ता, भाप्रसे (2005), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट को-आपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड को दिनांक 26 दिसम्बर 2016 से 4 जनवरी 2017 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 25 दिसम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) डॉ. अरूणा गुप्ता की अवकाश अवधि में श्रीमती रेनू तिवारी, भाप्रसे (2000), प्रबंध संचालक, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट को-आपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. अरूणा गुप्ता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट को-आपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) डॉ. अरूणा गुप्ता द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट को-आपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती रेनू तिवारी उक्त प्रभार से मुक्त होंगी.

(5) अवकाशकाल में डॉ. अरूणा गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. अरूणा गुप्ता, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

भोपाल, दिनांक 25 नवम्बर 2016

क्र. ई-13-34-2016-5-एक.—राज्य शासन निम्नलिखित भा.प्र.से. अधिकारियों को मिड कैरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर आईएएस आफिसर्स (फेस-3 राउन्ड-10), दिनांक 28 नवम्बर से 23 दिसम्बर 2016 तक आयोजित प्रशिक्षण में भाग लेने की अनुमति के क्रम में प्रशिक्षण हेतु नामांकित अधिकारी की प्रशिक्षण अवधि में उनके पद का प्रभार उनके नाम के समक्ष दर्शाये अधिकारी को सौंपा जाता है:—

क्र.	नाम अधिकारी एवं पद जिन्हें प्रशिक्षण में भाग लेना है	प्रभार जिन्हें सौंपा जाता है
(1)	(2)	(3)
1	श्री महेश चन्द्र चौधरी, भा.प्र.से. (2000), कलेक्टर, जिला जबलपुर.	श्री पी. के. राही, भा.प्र.से. (1998), अपर आयुक्त (राजस्व), जबलपुर संभाग, जबलपुर.
2	डॉ. संजय गोयल, भा.प्र.से. (2003) कलेक्टर, जिला ग्वालियर.	श्री शिवराज सिंह वर्मा, रा.प्र.से. (1998), अपर कलेक्टर, ग्वालियर.
3	डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाडे, भा.प्र.से. (2006), कलेक्टर, जिला सीहोर.	श्री केदार सिंह रा.प्र.से. (1998), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सीहोर.

भोपाल, दिनांक 26 नवम्बर 2016

क्र. ई-5-501-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री बी. आर. नायडू, भाप्रसे (1986) तत्कालीन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 17 नवम्बर 2015 द्वारा दिनांक 24 अगस्त से 31 अक्टूबर 2015 तक, उनहत्तर दिन एवं आदेश दिनांक 20 मई 2016 द्वारा दिनांक 25 मई से 16 जून 2016 तक तेईस दिन का अर्जित अवकाश तथा आदेश दिनांक 20 मई 2016 के अनुक्रम में दिनांक 17 से 22 जून 2016 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है.

(2) श्री बी. आर. नायडू, भाप्रसे द्वारा उपरोक्त स्वीकृत अर्जित अवकाश को अर्ध-वैतनिक अवकाश में चिकित्सा आधार पर परिवर्तित कर, उक्त अवधि का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन के अनुक्रम में अखिल भारतीय सेवाएं (अवकाश) नियम 1955 के नियम-19 के अन्तर्गत पद-1 में उल्लेखित अवधियों के स्वीकृत अर्जित अवकाश को परिवर्तित कर उक्त अवधि का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

क्र. ई-5-810-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती पुष्पलता सिंह, आयएएस., आयुक्त, एकीकृत बाल विकास सेवा मध्यप्रदेश तथा पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन को दिनांक 22 से 31 दिसम्बर 2016 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती पुष्पलता सिंह, भा.प्र.से. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, एकीकृत बाल विकास सेवा मध्यप्रदेश तथा पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती पुष्पलता सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती पुष्पलता सिंह अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई-5-858-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री विकास नरवाल, आयएएस., कलेक्टर, जिला सागर को दिनांक 1 से 9 दिसम्बर 2016 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 10 एवं 11 दिसम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री विकास नरवाल की अवकाश अवधि में श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, आयुक्त, नगरपालिक निगम, सागर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला सागर का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री विकास नरवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री विकास नरवाल द्वारा कलेक्टर, जिला सागर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, कलेक्टर, जिला सागर के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री विकास नरवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विकास नरवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई.-5-868-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती सूफिया फारूखी वली, आयएएस., उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को दिनांक 9 जुलाई से 30 नवम्बर 2016 तक, एक सौ पैंतालीस दिन के स्वीकृत Leave Not Due के अनुक्रम में दिनांक 1 दिसम्बर 2016 से 1 अप्रैल 2017 तक, एक सौ बाईस दिन का Leave Not Due स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सूफिया फारूखी वली को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती सूफिया फारूखी वली को नियमानुसार अवकाश वेतन एवं भत्ता देय होगा.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सूफिया फारूखी वली अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसंत प्रताप सिंह, मुख्य सचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 2016

क्र. एफ-1(बी)85-2014-बी-4-दो.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर द्वारा राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला सेवा के अंतर्गत वैज्ञानिक अधिकारी (रसायन शास्त्र) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आयोजित परीक्षा 2013 के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर अनुपूरक सूची से चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्यप्रदेश न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला सेवा में कनिष्ठ वेतनमान रुपये—15600—39100+5400/- में वैज्ञानिक अधिकारी (रसायन शास्त्र) के पद पर उनके नाम के सम्मुख कालम 04 में अंकित कार्यालय में नियुक्त किया जाता है:—

क्र.	लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित अनुपूरक सूची का क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्राचार का पता	पदस्थापना कार्यालय/ स्थल
(1)	(2)	(3)	(4)
1	11	सुश्री स्मिता पांचाल, D/o श्री मनोहर पांचाल ए-10/10, अलकनंदा, कालोनी, बिरला अस्पताल के पीछे, नाना खेड़ा, उज्जैन, म. प्र.-456010.	क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, ग्वालियर म. प्र.

2. नवनियुक्ति अधिकारी आदेश प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि में कॉलम (4) में अंकित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माने जायेगा.

3. नवनियुक्त अधिकारी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामांन्य शर्तें) नियम, 1961 एवं मध्यप्रदेश न्यायालयिक प्रयोगशाला (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1993 से शासित होगी. सेवा संबंधी अन्य मुद्दे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/ निर्देशों के अंतर्गत निराकृत किये जायेंगे.

4. नवनियुक्त अधिकारी की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती है. इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग-पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहे तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा. एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे, नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व बकाया के तौर पर उनसे वसूल की जावेगी.

5. राज्य शासन के अधीन दिनांक 01 जनवरी 2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी.

6. नियुक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने पर उनकी सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी एवं उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा.

7. परिवीक्षाधीन अधिकारी द्वारा पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते समय एक "बाण्ड" शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा कि परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होगी, की वापसी के लिये वे उत्तरदायी होंगे.

8. नवनियुक्त अधिकारी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत है, उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र अजांच एवं अमांग प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा.

9. प्रत्याशियों को निर्देशित किया जाता है कि वह नियुक्ति के संबंध में अपनी योग्यता एवं जाति प्रमाण-पत्र की मूल प्रति पदस्थापना संबंधी जिले के पुलिस अधीक्षक/संयुक्त निदेशक क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला कार्यालय/कार्यालय प्रमुख को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे.

10. मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2002 (क्रमांक 10 सन् 2002) दिनांक 13 मई 2002 के प्रावधान अनुसार सुविधा सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित रोस्टर के अनुसार नियुक्ति की पृविष्टियाँ रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं.

11. प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक सन् 1994) उपबंधों का और उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है.

भोपाल, दिनांक 26 नवम्बर 2016

क्र. एफ-1 (ए)-104-16-ब-2-दो.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 16 सितम्बर 2016 को निरस्त करते हुए श्री कार्तिकेयन के भा.पु.से. (परि.) पुलिस अधीक्षक, जिला अलीराजपुर को दिनांक 5 से 19 अक्टूबर तक, पन्द्रह दिवस पितृत्व अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीदास, अवर सचिव.

वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 नवम्बर 2016

क्र. एफ-9-11-2016-नियम-चार.—राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ 9-11-2016-नियम-चार, दिनांक 28 अक्टूबर 2014 द्वारा गठित मध्यप्रदेश पेंशनर कल्याण मंडल का वर्तमान कार्यकाल दिनांक 27 अक्टूबर 2016 को समाप्त होने पर कार्यकाल में आगामी एक वर्ष की वृद्धि की जाती है.

2. मध्यप्रदेश पेंशनर कल्याण मंडल में नियुक्त सदस्य श्री सुकृत सिंह ठाकुर के निधन से हुए रिक्त स्थान पर श्री जगदीश प्रसाद चौबे, जिलाध्यक्ष पेंशनर एसोसिएशन दमोह को नियुक्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिरुद्ध मुकर्जी, सचिव.

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 2016

क्र. एफ-1781-464-2016-तेईस-योआसां.—जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (क्रमांक 18 सन् 1969) की धारा (6) की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5/2003-तेईस आ.सां., दिनांक 2 दिसम्बर 2003 के बिन्दु क्रमांक-3 में आंशिक संशोधन करते हुए भोपाल, इन्दौर, उज्जैन, ग्वालियर, सागर, जबलपुर एवं रीवा में संयुक्त संचालक एवं बुरहानपुर, अशोकनगर, अलीराजपुर, सिंगरौली एवं अनूपपुर जिले में जिला सांख्यिकी अधिकारी को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अपने-अपने राजस्व जिलों के भीतर जिला रजिस्ट्रार, जन्म मृत्यु नियुक्त करता है

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सरिता बाला, उपसचिव.

जेल विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 नवम्बर 2016

क्र. एफ-06-16-2002-तीन-जेल.—जेल प्रिजन्स एक्ट, 1894 की धारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, नीलम पार्क एवं यादगार-ए-शाहजानी पार्क, भोपाल को दिनांक 5 से 9 दिसम्बर 2016 तक के लिए अस्थायी जेल घोषित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय नथानियल, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 26 नवम्बर 2016

फा. क्र. 1-6-89-इक्कीस-ब (एक)-4222-2016.—स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 36 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 1-6-89-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 3 अप्रैल, 1998 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 17 अप्रैल 1998 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 51-अ तथा 52-अ तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम (2)	विशेष न्यायालय (3)	स्थानीय क्षेत्र/सेशन खण्ड (4)
"51-अ.	श्री मृत्युंजय सिंह, सेशन न्यायाधीश, डिण्डौरी.	डिण्डौरी	डिण्डौरी
52-अ	श्रीमती कृष्णा परस्ते, द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, उमरिया.	उमरिया	उमरिया".

यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.

F. No. 1-6-89-XXI-B(1) 4222-2016.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (No. 61 of 1985), the State Government in consultation with the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in this Department's Notification No. F. 1-6-89-XXI-B (I), dated 3rd April 1998, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-I dated the 17th April 1998, namely :—

AMENDMENTS

In the said Notification, in the Schedule, for serial numbers 51-A and 52-A and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

SCHEDULE

S.No. (1)	Name and Designation of the Judge (2)	Special Court (3)	Local area Session Division (4)
"51-A.	Shri Mritunjay Singh, Sessions Judge Dindori.	Dindori	Dindori
52-A.	Shri Krishna Parsate, IInd Additional Sessions Judge, Umaria.	Umaria	Umaria

This amendment shall come into force from the date on which the Judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court.

फा. क्र. 17(ई)43-2009-इक्कीस-ब(एक)-4628-2016.—ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (2009 का 4) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई)43-2009-2251-इक्कीस-ब(एक)13, दिनांक 10 मई 2013 में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 13 एवं 50 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

सारणी

अनुक्रमांक	न्यायाधिकारी का नाम	पदस्थापना का स्थल	सिविल जिले का नाम	मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिये ग्राम न्यायालय का नाम	ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"13.	श्री अमजद अली, उन्नीसवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	भोपाल	भोपाल	भोपाल	भोपाल
50.	श्री मनोज कुमार राठी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश.	नीमच	नीमच	नीमच	नीमच'.'

F. No. 17(E)43-2009-XXI-B(1)-4628-2016.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (No. 4 of 2009), the State Government, in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in this Department's Notification F. No. 17(E)43-2009-XXI-B(I) 2251-13, dated 10th May, 2013, namely :—

AMENDMENT

In the said Notification, in the Table, for serial number 13 and 50 entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

TABLE

S. No.	Name of Nyayadhikari	Place of Posting	Name of Civil District	Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level	Name of Headquarter of Gram Nyayalaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"13.	Shri Amzad Ali., XIX Civil Judge, Class-I.	Bhopal	Bhopal	Bhopal	Bhopal
50.	Shri Manoj Kumar Rathi, II Additional Judge to I Civil Judge, Class-I.	Neemuch	Neemuch	Neemuch	Neemuch".

भोपाल, दिनांक 28 नवम्बर 2016

फा. क्र. 17(ई)44-2013-इक्कीस-ब(एक)-4231-2016.—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक ब(1)3476-2013, दिनांक 11 सितम्बर 2013 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-एक में दिनांक 20 सितम्बर 2013 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 49 एवं 50 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

सारणी

क्रमांक	जिले का नाम	विशेष न्यायाधीश का नाम
(1)	(2)	(3)
"49.	डिण्डोरी	श्री मृत्युंजय सिंह, सेशन न्यायाधीश, डिण्डोरी
50.	उमरिया	श्रीमती कृष्णा परस्ते, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, उमरिया".

2. यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपना पदभार ग्रहण करें.

F. No. 17 (E)-44-2013-XXI-B-(1)4231-2016.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the State Government, in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in this Department's Notification F-No. B (1) 3476-2013, dated 11th Sepetember 2013, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1 dated 20th September 2013, namely:—

AMENDMENT

In the said Notification, in the table, for serial numbers 49 and 50 and entries relatiang thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

TABLE

S. No.	Name of District	Name & Designation of the Judge
(1)	(2)	(3)
"49	Dindori	Shri Mritunjay Singh, Sessions Judge Dindori
50.	Umaria	Smt. Krishna Parsate, IInd Additional Sessions Judge, Umaria."

2. This amendment shall come into force from the date on which the Judge, as specified in this Notification assumes the charge of his office in the said Court.

भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2016

फा. क्र. 3(बी)02-2014-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 56), राज्य शासन, श्री अरविंद गुर्जर पिता श्री नबाव सिंह गुर्जर को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्द्वारा नियुक्त किया जा रहा है.

अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 20 नवम्बर 1986 है.

उक्त आदेश रिट याचिका क्रमांक 588716 में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27 अक्टूबर 2016 के अनुसार याचिकाकर्ता श्री अरविंद गुर्जर को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर मूल वरिष्ठता के साथ नियुक्ति दी गई है. वे "कार्य नहीं वेतन नहीं" के सिद्धांत के आधार पर वेतन का बकाया पाने के पात्र नहीं होंगे किन्तु पारिणामिक सेवा लाभ पाने के पात्र होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एम. सक्सेना, प्रमुख सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 7 नवम्बर 2016

क्र. 695-भू-अर्जन-16.—महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमि. खरगोन के पत्र क्रमांक 7556-57-भू-अर्जन-2016, दिनांक 23 सितम्बर 2016 द्वारा जिला खरगोन की तहसील सनावद के ग्राम सेल्दा, डालची में स्थापित की जा रही 660×2 मेगावाट की वृहद ताप विद्युत् परियोजना में कोयला आपूर्ति के लिए प्रस्तावित रेल पथ निर्माण हेतु तहसील सनावद के ग्राम भगोरा एवं बेडिया की निजी भूमि क्षेत्रफल क्रमशः 0.085 हे.एवं 0.680 हे. के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) के अध्याय-2(अ) धारा-4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है. पूर्व में इसी प्रयोजन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट दी जा चुकी है.

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 16-15(1)/2014-सात-2ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, अशोक कुमार वर्मा, कलेक्टर, जिला खरगोन एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय, भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10-ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित ग्रामों की निजी भूमि को अधिनियम के अध्याय-2(अ) धारा-4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूं :—

अ.क्र.	जिला	तहसील	प.ह.नं.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टर में)	सार्वजनिक प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	खरगोन	सनावद	09	भगोरा	0.085	खरगोन वृहद ताप विद्युत् परियोजना में कोयला आपूर्ति के लिए प्रस्तावित रेल पथ निर्माण हेतु.
2	खरगोन	सनावद	21	बेडिया	0.680	
				योग.	. 0.765	

नोट.—उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बडवाह एवं महाप्रबंधक परियोजना एनटीपीसी लिमिटेड, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

खरगोन, दिनांक 11 नवम्बर 2016

क्र. 707-भू-अर्जन-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू-अर्जन अधिनियम की धारा 19 (1) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा 19(2) के अन्तर्गत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार अनुसूची (3) पर प्रदर्शित है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) एवं (2) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची (1)

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन

(ख) तहसील—सनावद

(ग) ग्राम—भातुड

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.178

क्रमांक	खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(3)
1	7/2	0.178

अनुसूची (2)

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.—खरगोन वृहद ताप विद्युत् परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिये रेल पथ निर्माण हेतु.

अनुसूची (3)

भू-अर्जन अधिनियम की धारा-19 (1) में विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा-19 (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सार

1. **वार्षिकी या नियोजन का विकल्प.**—(1) रुपये 5.00 लाख प्रति एकड़ (न्यूनतम रुपये 5 लाख) का एक बारगी संदाय किया जायेगा. एक एकड़ से अधिक भूमि का अर्जन होने की दशा में रुपये 5.00 लाख प्रति एकड़ का आनुपातिक मान से पुनर्वास संदाय किया जायेगा. जिसका वर्गीकरण इस प्रकार है:—

(अ) एक मुश्त नौकरी के एवज में पुनर्वास अनुदान रुपये 3,00,000/- प्रति एकड़.

(ब) Ex-Gratia रुपये 50,000/- प्रति एकड़.

(स) विशेष अनुदान रुपये 50,000/- प्रति एकड़.

(द) प्रभावितों पर आश्रित नि:शक्तजन, विधवा परित्यक्ता एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों हेतु पुनर्वास अनुदान रुपये 1,00,000/- प्रति एकड़.

(2) एक ही व्यक्ति की एक एकड़ से कम भूमि के दो या दो से अधिक प्रकरण होंगे तो प्रत्येक प्रकरण में पृथक्-पृथक् 5-5 लाख की राशि देय नहीं होगी. सभी प्रकरणों में अर्जित भूमि एक एकड़ से कम है तो रुपये 5,00,000/- देय होगा.

(2) **ग्रामों हेतु अवसंरचनात्मक सुविधायें.**—कार्य योजना के बिन्दु क्रमांक-12 में ग्रामों की अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिये प्रति ग्राम विकास हेतु राशि रुपये 10,00,000/- प्रति ग्राम प्रतिवर्ष तीन वर्ष के लिये दिया जाना प्रावधानित.

3. **खेतों में आवागमन हेतु मार्ग.**—एनटीपीसी द्वारा रेल पथ निर्माण में सामान्य आवागमन के जो भी मार्ग/रोड अवरुद्ध होंगे वहां पर पुल/पुलियाओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है. रेल्वे पथ के दोनों ओर खेतों में आवागमन हेतु जमीन रखी गई है.

4. **शेष बची भूमि का अधिग्रहण.**—कृषक की 75 प्रतिशत/प्रति खसरा भूमि अधिग्रहण की दशा में शेष बची हुई भूमि यदि 0.5 हेक्टर सिंचित या 1 हेक्टर असिंचित या इससे अधिक हो तो शेष भूमि के अधिग्रहण की अनिवार्यता नहीं होगी. इससे कम भूमि का अर्जन भूमिस्वामी की सहमति के आधार पर किया जायेगा.

5. **सिंचाई हेतु पाईप लाईन निकालने की अनुमति.**—सिंचाई के लिए पाईप-लाईन निकालने हेतु अनुमति के लिए तकनीकी दृष्टि से विचार किया जावेगा तथा जहां संभव हो वहां पर अनुमति दी जावेगी. यह अनुमति रेल पथ परियोजना के लिए भू-अर्जन से प्रभावित भू-स्वामियों की वर्तमान में प्रभावित हो रही पाईप लाईन के लिए ही विचाराधीन होगी.

6. **संभावित नुकसान भरपाई के लिये विशेष पुनर्वास अनुदान.**—रेल पथ के निर्माण के दौरान प्रभावित कृषकों को संभावित अपरिहार्य क्षति की पूर्ति हेतु राशि रुपये 25,000/- प्रति एकड़ का भुगतान किया जाना प्रावधानित.

7. **विशेष पुनर्वास अनुदान (देय प्रतिकर के अतिरिक्त राशि).**—अ. जमीन, वृक्षों तथा मकान का मुआवजा-राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिकर अनुसार.

ब. प्रत्येक कृषक को उसकी अर्जित भूमि के लिए प्रति एकड़ के मान से इतनी अतिरिक्ति राशि विशेष पुनर्वास अनुदान के रूप में दी जाएगी कि उसे सिंचित भूमि के लिए रुपये 5 लाख व असिंचित भूमि के लिये रुपये 2.50 लाख प्रति एकड़ भूमि मूल्य प्राप्त हो, इस राशि में से अधिनिर्णित राशि कम करके दी जावेगी.

8. **प्रशिक्षण.**—एनटीपीसी द्वारा क्षमता निर्माण के लिये परियोजना प्रभावित भू-विस्थापितों और उनके आश्रितों (आमतौर पर प्रति परिवार एक व्यक्ति) के लिए निम्नलिखित प्रशिक्षणं सुविधायें आयोजित की जावेंगी:—

1. (अ) राज्य के ITI में प्रशिक्षण लेने वाले को छात्रवृत्ति, प्रवेश शुल्क एवं शिक्षण शुल्क राज्य शासन के नियमानुसार दिया जावेगा.

(ब) प्रभावित व्यक्तियों को मेशन, वारवन्डर, प्लम्बरिंग, कारपेन्टिरिंग, शटरिंग, मोटर, ड्राईविंग, पेंटिंग आदि का प्रशिक्षण संबंधित संस्थाओं द्वारा दिलाया जायेगा एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा.

(स) कृषि आधारित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा.

(द) प्रभावित व्यक्तियों से विचार विमर्श करके आवश्यकतानुसार अन्य प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी.

2. परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को आस-पास के क्षेत्र में राज्य के आई.टी.आई. में प्रशिक्षण प्रायोजित करना एवं विशेष बैच चलाने हेतु समझौते करने का प्रयास किया जायेगा.

9. **भूमि विकास राशि.**—वर्तमान में इस परियोजना में कोई विस्थापित नहीं हो रहा है, यद्यपि भविष्य में विस्थापित होता है, तो भू-विस्थापितों द्वारा मुआवजा राशि एवं पुनर्वास राशि से खोई हुई जमीन के बराबर वास्तविक खरीदी हुई जमीन के लिए रुपये 16,000 प्रति एकड़ की दर से भूमि विकास राशि (अधिकतम 2 हेक्टर) के लिये देय होगी.

10. **छात्रवृत्ति.**—प्रभावित परिवार के छात्र-छात्राओं को 12वीं कक्षा तक अध्ययन के लिये अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के विद्यार्थियों को राज्य शासन के द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति के बराबर छात्रवृत्ति की गणना कर राशि एकमुश्त दी जावेगी. अनुत्तीर्ण होने पर छात्रवृत्ति देय नहीं होगी. यह छात्रवृत्ति अन्य शासकीय योजनाओं के अन्तर्गत मिलने वाली छात्रवृत्ति के अतिरिक्त होगी.

11. **स्वास्थय सेवाएं.**—परियोजना से प्रभावित व्यक्ति/आश्रितों को एन.टी.पी.सी. परिसर में बनने वाले अस्पताल में परामर्श एवं अन्य जांच हेतु राशि में 80 प्रतिशत छूट का प्रावधान रहेगा.

भूमि का नक्शा (प्लान) एवं आयुक्त द्वारा दिनांक 9-4-2016 को अनुमोदित विस्तृत, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बडवाह, महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार वर्मा, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मुरैना एवं भू-अर्जन अधिकारी, मध्यप्रदेश

प्र. क्र. 16-अ-82-भू-अर्जन-रक्षा-पासौन कला-2016-5093.— मुरैना, दिनांक 10/11 नवम्बर 2016

प्रारम्भिक अधिसूचना

[भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5 (1) के अन्तर्गत 1]

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए ग्राम-पासौन कला प.ह.नं 51 रा.नि. वृत्त-04, सबलगढ़, तहसील व उपखण्ड सबलगढ़ जिला मुरैना में कुल 4.155 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, अर्थात् नियम 4 के अधीन यथा विविरचित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है.

अतः जिला-मुरैना-तहसील-सबलगढ़ के ग्राम-पासौन कला प.ह.नं. 51 रा.नि. वृत्त-04 सबलगढ़ में उक्त परियोजना के लिये 4.155 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निंम्नानुसार है, का अर्जन किया जाता है:—

अनुसूची

क्र. सं.	सर्वे नम्बर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	681	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.520 में से 0.270	शारदा निवासी ग्राम (राजस्व अभिलेख अनुसार)
2	406	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.280	ब्रिन्दावन निवासी ग्राम (राजस्व अभिलेख अनुसार)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	415	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.870 में से 0.300	लखपति आदि निवासी ग्राम (राजस्व अभिलेख अनुसार).
4	413	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.200 में 0.150	राजेन्द्र निवासी ग्राम (राजस्व अभिलेख अनुसार)
5	414	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.200 में 0.150	वसुदेव आदि निवासी ग्राम (राजस्व अभिलेख अनुसार)
6	412	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.080	महाराज सिंह आदि निवासी ग्राम (राजस्व अभिलेख अनुसार).
7	423	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.420 में से 0.150	बीरबल आदि निवासी ग्राम (राजस्व अभिलेख अनुसार)
8	424	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.740 में से 0.210	श्री लाल आदि निवासी ग्राम (राजस्व अभिलेख अनुसार)
9	411	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.270 में से 0.090	मुरारी पुत्र रतनलाल, रामबाई, द्रोपती पुत्री रतनलाल आदि राजस्व अभिलेख अनुसार.
10	410	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.270 में से 0.090	रतनलाल निवासी ग्राम (राजस्व अभिलेख अनुसार)
11	409	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.090 में से 0.075	बद्री, लालपति आदि राजस्व अभिलेख अनुसार
12	282	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	1.140 में से 0.750	रामस्वरूप निवासी ग्राम (राजस्व अभिलेख अनुसार)
13	288	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.840 में से 0.210	काशीराम निवासी ग्राम (राजस्व अभिलेख अनुसार)
14	268	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.740 में से 0.360	रामप्रकाश निवासी ग्राम (राजस्व अभिलेख अनुसार)
15	267	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	1.090 में से 0.300	हेमलता बेबा रामचन्द्र आदि निवासी ग्राम (राजस्व अभिलेख अनुसार).
16	263	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.500 में से 0.090	भोरूलाल, सामन्त पिता चुन्नीलाल निवासी ग्राम (राजस्व अभिलेख अनुसार).
17	261	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.380 में से 0.150	राजपाल सिंह निवासी ग्राम (राजस्व अभिलेख अनुसार)
18	262	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.610 में से 0.450	सुन्ती बेबा शिवचरण आदि निवासी ग्राम (राजस्व अभिलेख अनुसार).
			कुल 19	4.155 हेक्टेयर	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है.

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सबलगढ़ में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है.

सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है.

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से किसी भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे.

विशेष : धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अत्यावश्कता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये जा रहे हैं. अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे.

संलग्नक : यथोक्त
स्थान : मुरैना
तारीख : 10-11-2016

प्रारम्भिक अधिसूचना

[भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5 (1) के अन्तर्गत 1]

प्र. क्र. 14-अ-82-भू-अर्जन-रक्षा-बधरेटा-2016-5094.—जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए ग्राम-बधरेटा प.ह.क्र. 00019 रा.नि. वृत्त-01, सुजर्मा, तहसील कैलारस उपखण्ड सबलगढ़, जिला मुरैना में कुल 26.765 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, अर्थात् नियम 4 के अधीन यथा विविरचित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है.

अतः जिला-मुरैना-तहसील-कैलारस के ग्राम बधरेटा प.ह.क्र. 19 रा.नि. वृत्त-01, सुजर्मा में उक्त परियोजना के लिये 26.765 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन किया जाता है:—

अनुसूची

क्र. सं.	सर्वे नम्बर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	1448/1/ख	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	2.665	सरदार पुत्र मुरलीधर निवासी ग्राम (राजस्व अभिलेख अनुसार).
2	1448/1/क/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	5.329 में से 5.300	रामजी लाल पुत्र हीरलाल निवासी ग्राम (राजस्व अभिलेख अनुसार).
3	1448/1/क/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	7.994 में से 7.044	गनपति आदि पुत्रगण मुरली निवासी ग्राम (राजस्व अभिलेख अनुसार).
4	1448/1/क/3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	3.500 में से 3.000	मु. लक्ष्मी देवी बेवा दिनेश सिंह आदि निवासी ग्राम (राजस्व अभिलेख अनुसार).
5	1448/1/मिन-2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	7.366 में से 0.500	महाराज सिंह आदि निवासी ग्राम (राजस्व अभिलेख अनुसार).
6	1450	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	1.672	महाराज सिंह आदि निवासी ग्राम (राजस्व अभिलेख अनुसार).
7	1450	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	1.672	रामजी लाल आदि निवासी ग्राम (राजस्व अभिलेख अनुसार).
8	1468	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	4.912	रामेश्वर दयाल पुत्र नन्दराम निवासी ग्राम (राजस्व अभिलेख अनुसार).
			कुल 8	26.765	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है.

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सबलगढ़ में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है.

सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है.

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से किसी भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे.

विशेष : धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अत्यावश्कता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये जा रहे है. अत: इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे.

संलग्नक : यथोक्त
स्थान : मुरैना
तारीख : 10-11-2016

प्रारम्भिक अधिसूचना

[भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5 (1) के अन्तर्गत 1]

प्र. क्र. 17-अ-82-भू-अर्जन-रक्षा-रायपुर-2016-5095.—जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए ग्राम-रायपुर, प.ह.क्र. 22, रा.नि. वृत्त-03, मामचौन, तहसील कैलारस उपखण्ड सबलगढ़, जिला मुरैना में कुल 0.315 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, अर्थात् नियम 4 के अधीन यथा विविरचित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है.

अत: जिला-मुरैना-तहसील-कैलारस के ग्राम-रायपुर प.ह.क्र. 22, रा.नि. वृत्त-03 मामचौन में उक्त परियोजना के लिये 0.315 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन किया जाता है:—

अनुसूची

क्र. सं.	सर्वे नम्बर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	72	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	2.080 में से 0.150	राजेन्द्र, चन्द्रपाल, रामकुमार, पुत्रगण रामसिंह निवासी ग्राम (राजस्व अभिलेख अनुसार).
2	38	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.190 में से 0.060	सिंधिया ना. बा. पिता मांगीलाल मु. कला बेवा मांगीलाल वगैरहा निवासी ग्राम (राजस्व अभिलेख अनुसार).
3	39	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.490 में से 0.060	सुरेन्द्र सिंह पुत्र सीताराम सिंह वगैरह निवासी ग्राम (राजस्व अभिलेख अनुसार).
4	40	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.310 में से 0.045	रामभजन, सेवाराम, वेदप्रकाश, रामलखन वगेरहा पुत्रगण बूटीराम निवासी ग्राम (राजस्व अभिलेख अनुसार).
			कुल 4	0.315	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है.

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सबलगढ़ में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है.

सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है.

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से किसी भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे.

विशेष : धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अत्यावश्कता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये जा रहे है. अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे.

संलग्नक : यथोक्त
स्थान : मुरैना
तारीख : 10-11-2016

प्रारम्भिक अधिसूचना

[भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5 (1) के अन्तर्गत 1]

प्र. क्र. 5-अ-82-भू-अर्जन-रक्षा-नोरावली-सेमई-2016-5097.—जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए ग्राम-नोरावली सेमई प.ह.क्र. 00062, रा.नि. वृत्त-05, रामपुरकला, तहसील व उपखण्ड सबलगढ़, जिला मुरैना में कुल 0.460 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, अर्थात् नियम 4 के अधीन यथा विविरचित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है.

अतः जिला-मुरैना-तहसील-सबलगढ़ के ग्राम-नोरावली सेमई प.ह.क्र. 62, रा.नि. वृत्त-05 रामपुरकला में उक्त परियोजना के लिये 0.460 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन किया जाता है:—

अनुसूची

क्र. सं.	सर्वे नम्बर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	4	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.170	रामेत पुत्र करनसिंह निवासी ग्राम राजस्व अभिलेख अनुसार.
2	5	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.170	देवीलाल पुत्र करन सिंह निवासी ग्राम राजस्व अभिलेख अनुसार).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	6	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.120	चिरोंजी पुत्र करन सिंह निवासी ग्राम राजस्व अभिलेख अनुरार).
			कुल 3	0.460	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है.

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सबलगढ़ में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है.

सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है.

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से किसी भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे.

विशेष : धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अत्यावश्कता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये जा रहे है. अत: इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे.

संलग्नक : यथोक्त
स्थान : मुरैना
तारीख : 10-11-2016

प्रारम्भिक अधिसूचना

[भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 एवं 40 [सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5 (1) के अन्तर्गत 1]

प्र. क्र. 15-अ-82-भू-अर्जन-रक्षा-धरसोला-2016-5096.—जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए ग्राम-धरसोला, प.ह.क्र. 60, रा.नि. वृत्त-05, रामपुरकला, तहसील व उपखण्ड सबलगढ़, जिला मुरैना में कुल 3.050 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, अर्थात् नियम 4 के अधीन यथा विविरचित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है.

अत: जिला-मुरैना-तहसील-सबलगढ़ के ग्राम-धरसोला, प.ह.क्र. 60, रा.नि. वृत्त-05 रामपुरकला में उक्त परियोजना के लिये 3.050 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन किया जाता है:—

अनुसूची

क्र. सं.	सर्वे नम्बर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	178	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.050	हरिप्रसाद आदि निवासी ग्राम (राजस्व अभिलेख अनुसार)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	227	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.190 में से 0.150	महीपति आदि निवासी ग्राम (राजस्व अभिलेख अनुसार)
3	249	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.300 में से 0.100	दुर्ग सिंग आदि निवासी ग्राम (राजस्व अभिलेख अनुसार)
4	233	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.380 में से 0.210	महीपति आदि निवासी ग्राम (राजस्व अभिलेख अनुसार)
5	243	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.380 में से 0.300	महीपति आदि निवासी ग्राम (राजस्व अभिलेख अनुसार)
6	242	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.380 में से 0.300	महीपति आदि निवासी ग्राम (राजस्व अभिलेख अनुसार)
7	246	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.400 में से 0.240	अनेगा बेवा मूला आदि निवासी ग्राम (राजस्व अभिलेख अनुसार).
8	406	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.390 में से 0.210	दुर्ग सिंग आदि निवासी ग्राम (राजस्व अभिलेख अनुसार)
9	410	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.470 में से 0.120	अनेगा बेवा मूला आदि निवासी ग्राम (राजस्व अभिलेख अनुसार).
10	414	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.190 में से 0.060	सुभद्रा बेवा मंटोला निवासी ग्राम (राजस्व अभिलेख अनुसार).
11	412	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.180	महीपति आदि निवासी ग्राम (राजस्व अभिलेख अनुसार)
12	482	सेवा खाता	कृषि भूमि	1.110 में से 0.300	सेवा खाता कोटवार ग्राम धरसौला पता निवासी ग्राम सेवा खातेदार.
13	471	सेवा खाता	कृषि भूमि	0.450 में से 0.210	सेवा खाता कोटवार ग्राम धरसौला पता निवासी ग्राम सेवा खातेदार.
14	472	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.630 में से 0.090	रम्मो बेबा जुगनू आदि निवासी ग्राम (राजस्व अभिलेख अनुसार).
15	475	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.270 में से 0.150	मंगी आदि निवासी ग्राम (राजस्व अभिलेख अनुसार)
16	476	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.330 में से 0.150	रामस्वरूप आदि निवासी ग्राम (राजस्व अभिलेख अनुसार)
17	479	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.120 में से 0.060	रामस्वरूप आदि निवासी ग्राम (राजस्व अभिलेख अनुसार)
18	480	सेवा खाता	कृषि भूमि	0.110	सेवा खाता कोटवार ग्राम धरसौला पता निवासी ग्राम सेवा सेवा खातेदार.
19	477	सेवा खाता	कृषि भूमि	0.060	सेवा खाता कोटवार ग्राम धरसौला पता निवासी ग्राम सेवा खातेदार.
			कुल 19	3.050	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है.

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सबलगढ़ में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है.

सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है.

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से किसी भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे.

विशेष : धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अत्यावश्कता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये जा रहे हैं. अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे.

संलग्नक : यथोक्त
स्थान : मुरैना
तारीख : 10-11-2016

विनोद शर्मा, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 22 नवम्बर 2016

क्र. 9630-भू-अर्जन-2015.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित मकान की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है.

प्र. क्र. अ-82-2014-2015.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान को गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में मोहनपुरा वृहद बहुउद्देशीय परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम चौकी के लिए डूब क्षेत्र में शेष वर्णित आबादी के अन्तर्गत छूटे मकान जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित आबादी की भूमि सर्वे नं. 36/3 रकबा 0.500 हेक्टेयर, सर्वे नं. 44 रकबा 0.329 हेक्टेयर, सर्वे नं. 108 रकबा 0.114 हेक्टेयर एवं सर्वे नं. 56 रकबा 0.366 पर स्थित परिसम्पत्ति का सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है. चूंकि मोहनपुरा वृहद बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण पूर्व से चल रहा है एवं इस हेतु अधिकांश मकानों का अर्जन किया जा चुका है धारा 11 (3) के प्रावधानों का अनुपालन पूर्व में किया चुका है.

अनुसूची (1)
मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित मकान : ग्राम चौकी

स.क्र.	आबादी का विवरण हे में.		नाम कृषक पिता का नाम, जाति ग्राम	मकान नम्बर	अर्जित मकान का माप क्षेत्रफल वर्गमीटर में
	आबादी के सर्वे नं.	कुल रकबा			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
1	36/3	0.500	आबादी		
2	44	0.329	आबादी		420.560
3	108	0.114	आबादी		
4	56	0.366	आबादी		
	4	1.309			

अनुसूची (2)

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित मकान : ग्राम चौकी

1	रामबाबू मिता मांगीलाल	18	32.160
2	हुकुमसिंह, रामचन्द्र पिताश्रीलाल	21	134.400
3	सरदारबाई बेवा गिरधारी	30	42.240
4	मोहरसिंह पिता हजारीलाल	53	120.970
5	जगदीश पिता करणसिंह	58	90.790
		कुल योग . .	420.560
		या (हे.मे.)	0.042

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 9631-भू-अर्जन-2015.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है.

प्र. क्र. अ-82-2013-2014.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान को गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में मोहनपुरा वृहद बहुउद्देशीय परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम माण्डाखेड़ा के लिए डूब क्षेत्र में शेष वर्णित आबादी के अन्तर्गत छूटे हुए मकान जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है. अत: भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित आबादी की भूमि सर्वे नं. 258 रकबा 0.911, सर्वे नं. 264 रकबा 0.759, सर्वे नं. 285 रकबा 0.013 हेक्टेयर, सर्वे नं. 255 रकबा 0.367, सर्वे नं. 254 रकबा 0.215, सर्वे नं. 249/5 रकबा 1.000, सर्वे नं. 249/1 रकबा 0.500 पर स्थित परिसम्पत्ति का सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है. चूंकि मोहनपुरा वृहद बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण पूर्व से चल रहा है एवं इस अधिकांश मकानों का अर्जन किया जाना है धारा 11 (3) के प्रावधानों के अनुसार किया जाना है.

अनुसूची (1)

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित मकान : ग्राम माण्डाखेड़ा

स.क्र.	आबादी का विवरण हे में.		नाम कृषक पिता का नाम, जाति ग्राम	मकान नम्बर	अर्जित मकान का माप का माप क्षेत्रफल वर्गमीटर में
	आबादी के सर्वे नं.	कुल रकबा			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	258	0.911	आबादी		35692.190
2	264	0.759	आबादी		35692.190
3	285	0.013	आबादी		35692.190
4	255	0.367	आबादी		35692.190
5	254	0.215	आबादी		35692.190
6	249/5	1.000	आबादी		35692.190
7	249/1	0.500	आबादी		35692.190

अनुसूची (2)

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित मकान: माण्डाखेडा

1	भगवानसिंह पिता हीरालाल	1/1	417.64
2	संतोष बाई/भगवानसिंह	1/2	172.00
3	कविताबाई/भगवानसिंह	1/3	165.75
4	हीरालाल पिता अमरलाल	1/4	208.00
5	मांगीलाल पिता पीरू	2	165.00
6	रामचरण पिता हीरालाल	3/1	539.50
7	महेन्द्र पिता रामचरण	3/2	129.32
8	ललितसिंह पिता रामचरण	3/3	163.00
9	मोतीलाल पिता केशरसिंह	4/1	1169.25
10	रामनारायण पिता मोतीलाल	4/2	172.00
11	जगदीश पिता मोतीलाल	4/3	238.00
12	बंशीलाल पिता मोतीलाल	4/4	222.75
13	रामनिवास पिता जगदीश	4/5	186.00
14	कृष्णाबाई/मोतीलाल	4/6	47.00
15	महेन्द्र पिता बंशीलाल	4/7	182.25
16	शीलाबाई/बंशीलाल	4/8	54.00
17	रीनाबाई/रामनारायण	4/9	48.00
18	चन्दरसिंह पिता मोतीलाल	4/10	265.90
19	रीतुबाई/चन्दरसिंह	4/11	45.00
20	अमृतलाल पिता धूलजी	5/1	121.00
21	ईन्दरसिंह पिता अमृतलाल	5/2	40.50
22	भगवानसिह पिता अमृतलाल	5/3	190.60
23	धीरपसिंह पिता मोहनलाल	6	258.75
24	मांगीलाल पिता गोपीलाल	7/1	60.04
25	बादामबाई/मांगीलाल	7/2	64.70
26	कुमेरसिंह पिता गोपीलाल	8/1	66.50
27	रामनारायण पिता कुमेरसिंह	8/2	32.78
28	गोपालसिंह पिता देवजी	9/1	34.40
29	धूलीबाई/देवजी	9/2	60.20
30	जगदीश पिता धूलजी	10	194.75
31	करनसिंह पिता मोतीलाल	11/1	14.00
32	अमृतलाल पिता करनसिह	11/2	44.85
33	रोड़जी पिता अमृतलाल	11/3	36.00
34	दिनेश पिता अमृतलाल	11/4	134.88
35	रामनिवास पिता अमृतलाल	11/5	26.40
36	रमेश पिता माहनलाल	12/1	43.85
37	दिलीप पिता रमेश	12/2	76.86
38	फतेहसिंह पिता करनसिंह	13/1	57.00
39	जितेन्द्र पिता फतेहसिंह	13/2	68.67
40	अनारसिह पिता फतेहसिंह	13/3	58.77
41	सूरजसिंह पिता मोहनलाल	14/1	118.73
42	मोहनलाल पिता गोपीलाल	14/2	54.45
43	प्यारजी पिता जगन्नाथ	15/1	53.90

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
44			रोड़जी पिता प्यारजी	15/2	82.00
45			सरदारसिंह पिता प्यारजी	15/3	46.00
46			गोपालसिंह पिता प्यारजी	15/4	46.25
47			पांचोबाई/गंगाराम	16/1	45.00
48			कृष्णाबाई/गंगाराम	16/2	46.00
49			फतेहसिंह पिता अमरसिंह	17/1	129.35
50			बलवंतसिंह पिता फतेहसिंह	17/2	126.60
51			मांगीलाल पिता लालजीराम	18/1	566.00
52			छीतरलाल पिता लालजीराम	18/2	100.25
53			अनारसिंह पिता लालजीराम	18/3	114.50
54			सुल्तानसिंह पिता लालजीराम	18/4	93.45
55			होकमसिंह पिता लालजीराम	18/5	126.45
56			भारतसिंह पिता बनेसिंह	18/6	155.25
57			दिनेशसिंह पिता बनेसिंह	18/7	71.25
58			जगदीश पिता मांगीलाल	18/8	45.00
59			प्रेमसिंह पिता पूरजी	19/1	85.61
60			कमलसिंह पिता पूरजी	19/2	31.75
61			पूरजी पिता भेरूजी	19/3	42.45
62			विजयसिंह पिता पूरजी	19/4	50.19
63			चंदरसिंह पिता पूरजी	19/5	261.80
64			हेमराज पिता प्रेमसिंह	20/1	69.00
65			कमलाबाई/बिहारीलाल	20/2	34.25
66			रघुनंदन पिता शिवनारायण	21	44.05
67			मांगीलाल पिता गंगाराम	22/1	9.85
68			रामकैलाश पिता मांगीलाल	22/2	44.70
69			बीरमसिंह पिता मांगीलाल	22/3	51.10
70			करनसिंह पिता मोतीलाल	23	108.00
71			राधेश्याम पिता खीमाजी	24/1	60.22
72			जगदीश पिता खीमाजी	24/2	69.51
73			रामबाबू पिता खीमाजी	24/3	64.07
74			खीमाजी पिता लक्ष्मण	24/4	54.00
75			रोड़जी पिता गोपीलाल	25	56.65
76			रामलाल पिता घीसालाल	26	83.73
77			लालसिंह पिता धन्नालाल	27	159.50
78			गोविन्द सिंह पिता घीसालाल	28	41.40
79			बीरम पिता किशनलाल	29	133.30
80			धन्नालाल पिता घीसालाल	30	155.45
81			घनश्याम पिता रामलाल	31	28.53
82			सुनीताबाई/गोविन्दलाल	32	93.10
83			मुकेश पिता धन्नालाल	33	142.35
84			नारायणसिंह पिता हमीरसिंह	34/1	208.65
85			अनिल पिता नारायणसिंह	34/2	145.50
86			हमीरसिंह पिता सावंतसिंह	35	174.89
87			विजयसिंह पिता हमीरसिह	36	69.00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
88			भारतसिंह पिता हमीरसिह	37	58.99
89			बाबूलाल पिता छोटेलाल	38	199.05
90			विष्णुसिंह पिता छोटेलाल	39	133.75
91			भीखालाल/छोटेलाल	40	176.89
92			छोटेलाल पिता सावंतसिंह	41	113.25
93			धन्नालाल पिता बलराम	42	46.55
94			देवराज पिता बलराम	43	214.20
95			उमेशसिंह पिता रामसिंह	44	113.25
96			शांतीलाल पिता रामसिंह	45	242.50
97			परवीर पिता रामसिंह	46	80.75
98			दोलजी पिता प्यारजी	47	201.50
99			औकारसिंह पिता धूलजी	48	186.25
100			नारायणसिंह पिता औंकारसिंह	49	149.00
101			भारतसिंह पिता घीसालाल	50	123.30
102			डालीबाई/घीसालाल	51	22.05
103			देवराज पिता बाबूलाल	52	193.79
104			भगवानसिंह पिता शिवनारायण	53	40.00
105			गोपालसिंह पिता शिवनारायण	54	51.53
106			शिवनारायण पिता सबलजी	55	150.38
107			हरीसिंह पिता शिवनारायण	56	49.50
108			रामनारायण पिता सबलजी	57	133.07
109			कमलसिंह पिता रामनारायण	58/1	78.57
110			नवरंगबाई/मांगीलाल	58/2	10.50
111			बीरम/भोनजी	59/1	75.25
112			नारायण पिता बीरमजी	59/2	15.00
113			रामचंद पिता बीरमजी	59/3	30.00
114			हरीसिंह पिता भेरूजी	60/1	93.35
115			कालू पिता हरिसिंह	60/2	496.00
116			करनसिह पिता रतनलाल	61	161.75
117			मदनसिंह पिता प्रेमसिंह	62/1	191.37
118			प्रेमसिंह पिता नाथूसिंह	62/2	229.10
119			नन्दनसिंह पिता रामसिंह	63	186.00
120			मांगीलाल पिता रूगनाथ	64	18.13
			रामदेव मंदिर		
121			केसीबाई/रूपा	65/1	38.00
122			रोड़जी पिता रूपा	65/2	38.00
123			दिलीप पिता बिहारी	66	38.00
124			भमरलाल पिता भावसिंह	67	38.00
125			रामप्रसाद पिता भंवरलाल	68	90.25
126			देवीसिंह पिता कंवरलाल	69	57.27
127			कैलाश पिता बापूलाल	70	217.64
128			मनोहर पिता बापूलाल	71	53.25
129			चन्दरसिंह पिता बापूलाल	72	55.20
130			जसरथ पिता बापूलाल	73	42.00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
131			बादामबाई/बापूलाल	74	40.00
132			घीसालाल पिता जगन्नाथ	75	202.25
133			कंवरलाल पिता हजारीलाल	76	91.75
134			रामनारायण पिता मांगीलाल	77	142.45
135			मांगीलाल पिता रूगनाथ	78	175.45
136			माधुलाल पिता मेहताबजी	79	168.75
137			जगदीश पिता माधुलाल	80	53.00
138			बनवारी पिता नारायणसिंह	81	91.65
139			सुगनबाी/नारायणसिंह	82	104.75
140			रोड़ीबाई/ऊँकार	83	55.95
141			रोड़जी पिता रामलाल	84/1	38.75
142			आत्माराम पिता रोड़जी	84/2	64.80
143			लखन पिता अमरसिंह	85	92.87
144			फूलसिंह पिताकाशीलाम	86	117.15
145			रामसिंह पिता काशीराम	87	251.25
146			किशनलाल पिता काशीराम	88	71.16
147			अमृतलाल पिता किशनलाल	89	64.40
148			राधेश्याम पिता किशनलाल	90	68.25
149			लीलाबाई/अमरसिंह	91	21.00
150			चंदरसिंह पिता अमरसिंह	92	83.10
151			रामनारायण पिता काशीराम	93	65.10
152			कन्हैयालाल पिता काशीराम	94	66.15
153			बापूलाल पिता रामलाल	95	45.25
154			विष्णु पिता बाबूलाल	96	43.75
155			जगदीश पिता बाबूलाल	97	45.25
156			हरिसिंह पिता शिवनारायण	98	293.50
157			जितेन्द्र पिता शिवनारायण	99	282.00
158			छोटेलाल पिता गेदाजी	100	103.50
159			प्रेमसिंह पिता छोटेलाल	101	80.50
160			राजू पिता प्रेमसिंह	102	122.00
161			प्रेमसिंह पिता रूगनाथ	103	230.95
162			सूरज पिता प्रेमसिंह	104	157.70
163			कमलसिंह पिता प्रेमसिंह	105	63.00
164			मांगीलाल पिता प्यारजी	106/1	259.65
165			लखन पिता मांगीलाल	106/2	194.65
166			राधेश्याम पिता मांगीलाल	106/3	176.40
167			रामकरण पिता मांगीलाल	106/4	198.20
168			विष्णु पिता मांगीलाल	106/5	67.50
169			अर्जुनसिंह पिता मांगीलाल	106/6	163.26
170			मोहनलाल पिता मांगीलाल	106/7	195.00
171			बनेसिंह पिता प्यारजी	107	115.30
172			हिन्दुसिंह पिता मेहताबसिंह	108/1	499.00
173			द्रोपतीबाई/हिन्दुसिंह	108/2	76.00
174			लक्ष्मीनारायण पिता हिन्दुसिंह	108/3	201.50

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
175			रामकलाबाई/लक्ष्मीनारायण	108/4	106.25
176			रामकरण पिता हिन्दुसिंह	108/5	175.30
177			निरमालाई/रामकरण	108/6	235.00
178			गीताबाई/हिन्दुसिंह	108/7	58.00
179			भगवानसिंह पिता कुम्हेरसिंह	109	330.60
180			जगदीश पिता कुम्हेरसिंह	110	128.05
181			ललीताबाई/पृथ्वीसिंह	111/1	103.75
182			शैतानबाई/निर्भयसिंह	111/2	320.65
183			पृथ्वीसिंह पिता हरिसिंह	111/3	8.25
184			फूलसिंह पिता धूलजी	112/1	93.00
185			नारायण पिता धूलजी	112/2	93.00
186			चैनाबाई पिता मांगीलाल	112/3	93.00
187			घासी पिता रामलाल	112/4	68.00
188			रतनलाल पिता भेरूजी	113/1	377.25
189			बृजमोहन पिता करनसिंह	113/2	194.50
190			कैलाश पिता हरलाल	114	34.00
191			रोड़जी पिता भमरलाल	115	36.00
192			लक्ष्मीनारायण पिता ओमकार	116	72.00
193			कंचनबाई/मांगीलाल	117	48.45
194			किशोर पिता देवीलाल	118	113.46
195			विक्रम पिता शंभूलाल	119	69.00
196			दिनेश पिता शंभूलाल	120	63.75
197			करनसिंह पिता शंभूसिंह	121	78.00
198			शंभूलाल पिता देवीलाल	122	145.90
199			पवन पिता विष्णु	123	166.15
200			देवीसिंह पिता बापूलाल	124	221.90
201			शिवनारायण पिता रोड़जी	125	183.80
202			मंगूपुरी पिता शंकरपुरी	126	181.50
203			देवीसिंह पिता कालूसिंह	127	75.01
204			हरीसिंह पिता देवीसिंह	128	114.80
205			हक्कूसिंह पिता देवीसिंह	129	248.50
206			लालसिंह पिता देवजी	130	196.70
207			देवेन्द्र पिता लालजी	131	295.00
208			दिलीप पिता लालजी	132	347.00
209			लखनपुरा पिता नारायणपुरी	133	162.60
210			बादामबी/नारायणपुरी	134	100.96
211			रामजीलाल पिता नंदनसिंह	35/1	145.55
212			लक्ष्मीनारायण पिता नंदनसिंह	135/2	172.50
213			रामचन्द्र पिता उकारसिंह	136	416.25
214			हजरीलाल पिता गोपीलाल	137/1	98.95
			राहुल पिता बाबूलाल		
215			बाबूलालाल पिता कंवरलाल	137/2	140.00
216			चन्द्रसिंह पिता कंवरलाल	138	161.75
217			बनेसिंह पिता कंवरलाल	139/1	102.25

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
218			जगदीश पिता बनेसिंह	139/2	143.60
219			बीरम पिता देवसिंह	140	42.50
220			शांतिलाल पिता भागीरथ	141/1	125.75
221			धीरपसिंह पिता भागीरथ	141/2	120.25
222			भगवानसिंह पिता प्रेमसिंह	142	162.66
223			नारू पिता दल्ला	143	50.10
224			लाखन पिता भमरलाल भमरलाल पिता भानूजी	144	34.25
225			श्याम पिता नगा	145	39.50
226			दरयावसिंह पिता प्याजरी	146/1	102.25
227			माखनसिंह पिता दरयावसिंह	146/2	146.25
228			राहुल पिता दरयावसिंह	146/3	103.50
229			रंगलाल पिता लक्ष्मीनारायण	147/1	197.38
230			विष्णु पिता रंगलाल	147/2	96.50
231			शिवनारायण पिता किशनलाल	148/1	98.00
232			मुकेश पिता शिवनारायण	148/2	65.65
233			पर्वतसिंह पिता किशनलाल	149	202.25
234			किशनलाल पिता भंवरजी	150	58.80
235			धीरपसिंह पिता किशनलाल	151/1	155.25
236			जितेन्द्र पिता धीरपसिंह	151/2	44.00
237			बीरम पिता रामसिंह	152/1	152.50
238			देवबाई पिता रामसिंह	152/2	11750
239			मांगीलाल पिता रामसिंह	152/3	108.50
240			रमेश पिता मुरलीधर	153/1	64.25
241			दिनेश पिता मुरलीधर	153/2	121/25
242			भवानीशंकर पिता मुरलीधर	153/3	97.25
243			उमाबाई/मुरलीधर	154/1	64.00
244			मुरलीधर पिता भंवरलाल	154/2	86.00
245			राजकुमारी/देवेन्द्र	155	251.70
246			देवीसिंह पिता मेहताबसिंह	156/1	269.70
247			दुलेसिंह पिता देवीसिंह	156/2	130.00
248			मांगीलाल पिता पूरजी	157/1	128.31
249			रामबाबू पिता मांगीलाल	157/2	213.56
250			फतेसिंह पिता पूरजी	158/1	67.25
251			रोड़जी पिता फतेहसिंह	158/2	119.00
252			घीसू पिता फतेहसिंह	158/3	301.50
253			नारायणसिंह पिता देवसिंह	159/1	34.75
254			कमलसिंह पिता नारायणसिंह	159/2	133.00
255			कालूसिंह पिता नारायणसिंह	159/3	53.20
256			एलकारसिंह पिता निर्भयसिंह	160/1	96.53
257			साउकारसिंह पिता निर्भयसिंह	160/2	85.50
258			जितेन्द्र पिता निर्भसिंह	160/3	36.00
259			मनोहर पिता रामसिंह	161/1	67.88
260			रामसिंह पिता देवजी	161/2	44.01

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
261			चन्दरसिंह पिता प्रेमसिंह	162	323.00
262			प्रेमसिंह पिता देवजी	163	45.00
263			भगवासिंह पिता प्रेमसिंह	164	42.50
264			रामबाबू पिता लालजी	165	184.00
265			भारतसिंह पिता शांतीलाल	167	145.75
266			रमेश पिता श्किनलाल	168	93.50
267			गोपाल पिता रमेश	169	90.75
268			हरिसिंह पिता किशनलाल	170	131.75
269			जगदीश पिता प्रेमसिंह	171	135.75
270			विजयसिंह पिता पन्नालाल	172	211.75
271			लगधीर पिता विजयसिंह	173	175.50
272			छोटेलाल पिता रूपा	175	58.50
273			फतेहसिंह पिता गौरेलाल	176/1	38.00
274			चैनसिंह पिता गौरेलाल	176/2	38.00
275			गौरेलाल पिता रूपाजी	176/3	38.00
276			बृजसिंह पिता विजयसिंह	177	39.00
277			शंकर पिता भमरलाल	178	57.00
278			मांगीलाल पिता हजारीलाल	179/1	37.50
279			बजेसिंह पिता मांगीलाल	179/2	40.75
280			बजेसिंह पिता मांगीलाल	179/2	40.75
281			फतेहसिंह पिता मांगीलाल	179/3	40.75
282			कालू पिता मांगीलाल	179/4	26.00
283			ब्रिजूबाई/दीपा	180/1	39.25
284			प्रेमसिंह पिता दीपा	180/2	37.25
285			कालू पिता ऊकारसिंह	181/1	37.25
286			कमलसिंह पिता ऊकारसिंह	181/2	37.25
287			गुलाबसिंह पिता उकारसिंह	181/3	35.00
288			विजयसिंह पिता मांगीलाल	182	27.50
289			रामलाल पिता रूपा	183	40.00
290			गोपाल पिता रामलाल	184	40.00
291			अशोक पिता रामलाल	185	40.00
292			औंकारसिंह पिता रतनलाल	186	132.00
293			छोटेलाल पिता दल्ला	187	60.16
294			धनचंद पिता रामलाल	188	62.11
295			बजेसिंह पिता दल्ला	189	53.50
296			प्रेमसिंह पिता नारायणसिंह	190	34.60
297			हरीसिंह पिता नारायणसिंह	191	30.00
				कुल योग . .	35692.19
				या (हे.मे.)	3.569

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 9633-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है.

प्र. क्र. 98-अ-82-2014-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान को गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में मोहनपुरा वृहद बहुउद्देशीय परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम घोघडिया जागीर के लिए डूब क्षेत्र में वर्णित आबादी के अन्तर्गत छूटे हुए मकान जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित आबादी की भूमि सर्वे नं. 37/1 रकबा 0.101 हेक्टेयर, सर्वे नं. 32 रकबा 0.177 हेक्टेयर, सर्वे नं. 4/3/1 रकबा 1.265 हेक्टेयर पर स्थित परिसम्पत्ति का सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है. चूंकि मोहनपुरा वृहद बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण पूर्व से चल रहा है एवं इस हेतु अधिकांश मकानों का अर्जन किया जा चुका है धारा 11 (3) के प्रावधानों का अनुपालन पूर्व में किया चुका है.

अनुसूची (1)

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित मकान : ग्राम घोघडिया जागीर

स.क्र.	कुल बन्दोबस्ती का विवरण (हेक्टेयर में)		कृषक का नाम, पिता का नाम, जाति	मकान नम्बर	अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	प्रयोजन
	आबादी के सर्वे नं.	कुल रकबा				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	37/1	0.101	आबादी		6907.19	मोहनपुरा वृहद
	32	0.177				सिंचाई
	4/3/1	1.265				परियोजना
					6907.19	निर्माण.
		योग . . 1.543				

अनुसूची (2)

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित मकान : ग्राम घोघडिया जागीर

स.क्र.	कुल बन्दोबस्ती का विवरण (हेक्टेयर में)		कृषक का नाम, पिता का नाम, जाति	मकान नम्बर	अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	प्रयोजन
	आबादी के सर्वे नं.	कुल रकबा				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	37/1	0.101	रमेश पिता रामरतन जाति सौंधिया	1	49.5	
				32	56.89	
					106.39	
2			मांगीलाल पिता मेहताव जाति सौंधिया	2	48.75	
				31	56.89	
					105.64	
3			बलवंत सिंह पिता शिवनारायण जाति सौंधिया.	5	68.66	
				36/5	24.48	
4			रामकरण पिता विजय सिंह जाति सौंधिया.	6	44.10	
				36/4	29.64	
					73.74	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5			श्याम पिता शिवनारायण जाति सौंधिया.	7	45.50	
				36/6	24.48	
					69.98	
6			गायत्राबाई पिता वीरम सिंह जाति सौंधिया.	12	50.82	
				13	47.88	
7			इंदर सिंह पिता जगन्नाथ जाति सौंधिया.	60/3	30.03	
					77.91	
8			कमल सिंह पिता गंगाराम जाति सौंधिया.	14	14.00	
				35/2	42.51	
					56.51	
9			दिलीप सिंह पिता गंगाराम जाति सौंधिया.	15	14.00	
				35/4	81.11	
					95.11	
10			मानसिंह पिता अनार सिंह जाति सौंधिया.	18	58.96	
				64	21.70	
					80.66	
11			सूरजसिंह पिता प्रेमलाल जाति सौंधिया.	21	25.50	
12			वादाम बाई पत्नि भंवरलाल जाति हरिजन	22	93.64	
				58	18.00	
					111.64	
13			दोल जी पिता बापूलाल जाति सौंधिया	24	58.50	
				कुल योग .	.1005.54	
14	32	0.177	कवरलाल पिता बापूलाल जाति सौंधिया	25	72.00	
				29/3	64.39	
					136.39	
15			जुझारसिंह पिता करन सिंह जाति सौंधिया	27/1	143.11	
16			सीमा बाई पत्नि जुझार जाति सौंधिया	27/2	64.67	
17			प्रेम सिंह पिता बंशीलाल जाति सौंधिया	28/1	101.89	
18			सूरज सिंह पिता प्रेमसिंह जाति सौंधिया	28/2	31.50	
19			अमृत सिंह पिता बापूलाल जाति सौंधिया	29/1	75.84	
				125/2	71.69	
					147.53	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
20			कंचनबाई पत्नि बापूलाल जाति सौंधिया	29/2	76.51	
				125/1	79.18	
					155.69	
21			सुंदर बाई पत्नि प्रेमसिंह जाति सौंधिया	29/4	29.75	
22			रोडजी पिता मेहताव जाति सौंधिया	30	56.89	
				33/1	64.60	
23			नारायण सिंह पिता राम सिंह जाति	77/2	55.44	
					120.04	
24			महेन्द्र पिता नारायण सिंह जाति सौंधिया	33/2	164.16	
				38/1	57.12	
					221.28	
25			देवसिंह पिता राम सिंह जाति सौंधिया	34/1	72.57	
				73	108.78	
					181.35	
26			भगवान सिंह पिता देवसिंह जाति सौंधिया	34/2	147.32	
				75/2	64.60	
					211.92	
27			गंगाराम पिता पूर जी जाति सौंधिया	35/1	41.24	
28			पर्वत सिंह पिता गंगाराम जाति सौंधिया	35/3	46.47	
			कुल योग . .		1689.73	
29	4/3/1	1.265	विजय सिंह पिता पूर जी जाति सौंधिया	36/1	108.13	
30			शिवनारायण पिता पूर जी जाति सौंधिया	36/2	108.13	
31			कालू सिंह पिता विजय सिंह जाति	36/3	29.64	
32			सौंधिया रामबाबू पिता देवसिंह जाति	37	156.56	
			सौंधिया	75/1	64.60	
					221.16	
33			अनीता पिता नारायण जाति सौंधिया	38/2	57.12	
34			बापूलाल पिता भूरू जी जाति सौंधिया	39	238.39	
35			कलाबाई पत्नि बापूलाल जाति सौंधिया	40	29.76	
36			दुले सिंह पिता प्यार जी जाति सौंधिया	41	45.34	
37			वीरम सिंह पिता मांगीलाल जाति सौंधिया	42/1	126.38	
				43/1	57.83	
					184.21	
38			राजूबाई पत्नि वीरम सिंह जाति सौंधिया	42/2	126.38	
				43/2	57.83	
				88/1	34.00	
					218.21	
39			देवी सिंह पिता वीरम सिंह जाति सौंधिया	44	62.30	
				88/2	40.32	
					102.62	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
40			भूरालाल पिता माधू जाति सौंधिया	45	90.60	
41			कालूराम पिता मानसिंह जाति सौंधिया	46	19.25	
42			प्रेम सिंह पिता माधू जाति सौंधिया	47	88.12	
43			कालूसिंह पिता माधू जाति सौंधिया	48	77.19	
44				49	15.50	
45			नवल सिंह पिता कालू सिंह जाति सौंधिया	53/2	87.10	
46					102.60	
			वंशीलाल पिता माधू जाति सौंधिया	50/1	110.01	
			भूलीबाई पत्नि बंशीलाल जाति सौंधिया	50/2	60.68	
				105/2	49.00	
					109.68	
47			मोतीलाल पिता रामसिंह जाति सौंधिया	51/1	117.98	
48			कमला बाई पत्नि मोतीलाल जाति सौंधिया	51/2	91.25	
49			भारत सिंह पत्नी मोतीलाल जाति सौंधिया	51/3	143.40	
50			अंतरबाई पत्नी भारत सिंह जाति सौंधिया	51/4	184.50	
51			केशरबाई पत्नी भुवन सिंह सिंह जाति सौंधिया	52/1	34.37	
52			सुरेन्द्र पिता भुवन सिंह जाति सौंधिया	52/2	34.37	
53			सौलद बाई पत्नी मुकेश जाति सौंधिया	52/3	34.37	
54			कमल सिंह पिता कालूराम, जाति सौंधिया	53/1	87.10	
55			इंदर सिंह पिता माधो जाति सौंधिया	54/1	56.54	
56			रामेश्वर पिता इंदर सिंह जाति सौंधिया	54/2	56.54	
57			जगदीश पिता इंदर सिंह जाति सौंधिया	53/3	56.54	
				99	40.02	
					96.56	
58			माधो जी पिता अमर सिंह जाति सौंधिया	54/4	56.54	
59			गोपीलाल पिता प्रेमसिंह जाति सौंधिया	55	70.11	
60			राधेश्याम पिता प्रेमसिंह जाति सौंधिया	56	6.67	
61			भवरलाल पिता पूरजी जाति हरीजन	57	73.10	
62			रूखमाबाई वेवा बलराज जाति हरीजन	59	56.40	
63			वीरम सिंह पिता जगन्नाथ जाति सौंधिया	60/1/1	27.39	
64			गोकुल बाई पत्नि वीरम सिंह जाति सौंधिया	60/1/2	27.39	
65			जगन्नाथ पिता पूरजी जाति सौंधिया	60/2	47.58	
66			गिरिराज पिता मांगीलाल जाति सौंधिया	62	74.20	
67			दिनेश पिता बापूलाल जाति सौंधिया	68	29.60	
68			रामकला पति गंगाराम जाति सौंधिया	71	24.50	
69			काली बाई पत्नी देव सिंह जाति सौंधिया	74	115.60	
70			गीताबाई पत्नी नारायम सिंह जाति सौंधिया	76	65.45	
71			मनीषा बाई पिता नारायण सिंह जाति सौंधिया	77/1	55.44	
72			कौशल्या बाई पत्नी देवी सिंह जाति सौंधिया	82	54.72	
				90	40.20	
					94.92	
73			वादाम बाई पत्नी घीसालाल जाति सौंधिया	83	94.92	
74			घीसालाल पिता बापूलाल जाति सौंधिया	84	50.25	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
75			जगदीश पिता बापूलाल जाति सौंधिया	85	81.74	
76			कौशल्या बाई पत्नी जगदीश जाति सौंधिया	86/1	33.60	
77			जतनबाई पत्नी नारायण सिंह जाति सौंधिया	86/2	33.60	
78			दुलेसिंह पिता प्यार सिंह जाति सौंधिया	87	64.68	
79			क्षमाबाई पत्नी माधोलाल जाति सौंधिया	105/1	96.60	
80			कांता बाई पत्नी इंदर सिंह जाति सौंधिया	98	54.51	
				कुल योग . .	4211.92	
				कुल योग . .	6907.19	
				कुल योग . .	0.6907 हेक्टर	

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजगढ़, दिनांक 23 नवम्बर 2016

क्र. 9666-भू-अर्जन-2015.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है.

प्र. क्र. अ-82-2013-2014.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान को गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में मोहनपुरा वृहद बहुउद्देशीय परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम टाण्डी के लिए डूब क्षेत्र में वर्णित भूमि एवं आबादी के अन्तर्गत मकान जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है. अत: भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित आबादी की भूमि सर्वे नं. 281 रकबा 0.734 हेक्टेयर पर स्थित परिसम्पत्ति का सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है. चूंकि मोहनपुरा वृहद बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण पूर्व से चल रहा है एवं इस हेतु अधिकांश भूमि एवं मकानों का अर्जन किया जा चुका है इस कारण धारा 11 (3) के प्रावधानों का अनुपालन पूर्व में किया जा चुका है.

अनुसूची (1)

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित मकान : ग्राम टाण्डी

स.क्र.	आबादी का विवरण हे में.		नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	मकान नम्बर	अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्गमीटर में
	आबादी के सर्वे नं.	कुल रकबा			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	281	0.734	आबादी		12407.81
				महायोग . .	12407.81

अनुसूची (2)

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित मकान : ग्राम टाण्डी

ग्राम टाण्डी, प.ह.नं. 63, रा.नि.क्र. राजगढ़

तहसील : राजगढ़ जिला : राजगढ़

स.क्र.	आबादी का विवरण हे में.		नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	मकान नम्बर	अर्जित मकान का माप का माप क्षेत्रफल वर्गमीटर में
	आबादी के सर्वे नं.	कुल रकबा			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	281	0.734	घीसालाल पिता गोपीलाल शिवलाल पिता घीसालाल महेश पिता घीसालाल नन्दू पिता घीसालाल	1	95.54

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2			कालूजी पिता गेंदाजी सत्यनारायण पिता कालूजी जाति हरिजन	2	296.70
3			जगदीश पिता मांगीलाल नारायणबाई बेवा मांगीलाल जाति हरिजन	3	93.88
4			पन्नालाल पिता धूलजी जाति हरिजन	4	139.12
5			कालूसिंह पिता अनारसिंह भगवानसिंह पिता अनारसिंह जाति सोंधिया	5	267.59
6			बंशीलाल पिता भेरूसिंह जाति सौधिया	6	255.25
7			बादामबाई बेवा शिवनारायण जाति सेन	7	172.37
8			मांगीलाल पिता रामलाल मनोहर पिता मांगीलाल जाति सेन	8 (i)	98.78
9			कवंरलाल पिता मांगीलाल जाति सेन	8 (ii)	116.19
10			रामप्रसाद पिता मोतीलाल रामजीवन पिता रामप्रसाद जाति सेन	9	125.48
11			कुमेरसिंह पिता गंगाराम जाति सौधिया	10	134.77
12			भंवरलाल पिता गंगाराम जाति सौधिया	11	219.29
13			दशरथसिंह पिता हिन्दुसिंह जाति सौधिया	12	113.05
14			धनसिंह पिता विजयसिंह जाति सौधिया	13	118.58
15			जोगेन्द्रसिंह पिता धूलसिंह भंवरीबाई बेवा धूलसिंह जाति सौधिया	14 (i)	101.47
16			भेरूसिंह पिता धूलजी जाति सौधिया	14 (ii)	99.04
17			सूरजसिंह पिता धूलजी जाति सौधिया	14 (iii)	89.62
18			कालूसिंह पिता रतनलाल जाति सौधिया	15	105.47
19			रोड़जी पिता मांगीलाल जाति सौधिया	16	53.40
20			रामचन्दर पिता मांगीलाल जाति सौधिया	17	28.44
21			चेनासिंह पिता मांगीलाल जाति सौधिया	18	55.16
22			देवसिह पिता नानजी जाति सौधिया	19	117.86
23			केशरसिंह पिता नानजी गोपाल पिता केशर बलवान पिता केशर जाति सौधिया	20	132.26
24			मांगीलाल पिता अमरसिंह जाति सौधिया	21	175.00
25			इन्दरसिंह पिता करणसिंह जाति सौधिया	22	137.27
26			गजराजसिंह पिता इन्दरसिंह जाति सौधिया	23	163.90
27			भारतसिंह पिता करणसिंह जाति सौधिया	24	264.01
28			सम्पतबाई बेवा करणसिंह जाति सौधिया	25	28.05
29			ललितकुमार पिता बाबूलाल जाति सौधिया	26 (i)	393.03
30			भगवानसिंह पिता मांगीलाल जाति सौधिया	26 (ii)	136.36
31			गिरवरसिंह पिता मांगीलाल जाति सौधिया	27 (i)	51.32
32			मांगीलाल पिता धूलजी जाति सौधिया	27 (ii)	51.32
33			भैरोसिंह पिता मांगीलाल जाति सौधिया	28	212.77
34			विक्रमसिंह पिता मांगीलाल जाति सौधिया	29	210.75
35			रामसिंह पिता निर्भयसिंह जाति सौधिया	30	149.71
36			बीरम पिता गवाजी जाति सौधिया	31	73.30
37			धूलीबाई बेवा छोटेलाल जाति सौधिया	32	129.01

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
38			श्रीलाल पिता नारायणसिंह जाति सौधिया	33 (i)	80.30
39			भगवानसिंह पिता नारायणसिंह जाति सौधिया	33(ii)	80.30
40			लखनसिंह पिता श्रीलाल जाति सौधिया	33(ii)	54.00
41			लालसिंह पिता मांगीलाल जाति सौधिया	34	191.49
42			रोड़जी पिता हरीसिंह जाति सौधिया	35	111.24
43			कुमेरसिंह पिता हरीसिंह जाति सौधिया	36	129.12
44			सूरज पिता रोड़जी जाति सौधिया	37	35.23
45			कैलाशबाई बेवा शिवनारायण जाति ब्राहम्ण	38	139.73
46			रमेश पिता कालूजी बापूलाल पिता कालूजी जाति चमार	39	184.24
47			गणपत पिता भागचंद जाति चमार	40(i)	170.69
48			रामप्रसाद पिता गनपद जाति चमार	40 (ii)	109.67
49			मांगीलाल पिता लक्ष्मण जाति चमार	40 (iii)	47.30
50			गोकुल पिता कालूजी जाति चमार	41	66.98
51			दरयावसिंह पिता रामसिंह जाति सौधिया	42(i)	69.00
52			मेहरवानसिंह पिता रामसिंह जाति सौधिया	42(ii)	73.39
53			धूलीबाई बेवा अनारसिंह जाति सौधिया	43	220.46
54			कुमेरसिंह पिता शिवसिंह जाति सौधिया	44(i)	63.74
55			रोडजी पिता शिवसिंह जाति सौधिया	44(ii)	63.74
56			प्रेमनारायण पिता शिवसिंह जाति सौधिया	44(iii)	63.74
57			सत्यनाराण पिता कुमेरसिंह जाति सौधिया	45(i)	161.34
58			विष्णु पिता कुमेरसिंह जाति सौधिया	45(ii)	161.34
59			रामनारायण पिता शिवसिंह जाति सौधिया	46(i)	176.57
60			गोरधन पिता रामनारायण जाति सौधिया	46(ii)	176.57
61			रोड़जी पिता शिवसिंह जाति सौधिया	47	343.51
62			प्रेमनारायण पिता शिवसिंह जाति सौधिया	48	362.20
63			हिन्दुसिह पिता भीमाजी जाति सौधिया	49	112.66
64			कालूराम पिता घीसालाल जाति सेन	50	166.87
65			गुलाबसिह पिता बापूलाल जाति सौधिया	51(i)	133.66
66			भवानीसिंह पिता बापूलाल जाति सौधिया	51(ii)	133.42
67			प्रभूलाल पिता किशनलाल जाति बढई	52	172.32
68			मांगीबाई/हरीसिंह (पिता बीरमजी) जाति बढई	53(i)	41.86
69			छोटेलाल पिता भोनजी जाति बढई	53(ii)	54.82
70			कमल पिता छोटेलाल जाति बढई	53(iii)	41.86
71			बनेसिह पिता पूरजी जाति सौधिया	54	181.77
72			जगदीश पिता अमरसिंह जाति सौधिया	55(i)	176.91

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
73			कमलसिंह पिता अमरसिंह जाति सौधिया	55(ii)	176.91
74			मोहनलाल पिता अमरसिंह जाति सौधिया	55(iii)	176.91
75			विजयसिंह पिता गंगाराम जाति सौधिया	56(i)	173.73
76			हिन्दुसिंह पिता गंगाराम जाति सौधिया	56(ii)	173.73
77			सरजनसिंह पिता अमरसिंह जाति सौधिया	57	123.38
78			रोड़ीबाई/मोहनलाल जाति सौधिया	58	209.15
79			राजेन्द्र पिता भीमसिंह जाति सौधिया	59	149.07
80			फतेसिंह पिता उकारसिंह लखन पिता फतेसिंह ज्ञानसिंह पिता फतेसिंह जाति सौधिया	60	131.65
81			करणसिंह पिता उकारजी जाति सौधिया	61(i)	54.80
82			प्रेमसिंह पिता उकारजी जाति सौधिया	61(ii)	61.45
83			धीरपसिंह पिता उकार रामनिवास पिता धीरपसिंह जाति सौधिया	62	102.43
84			मुन्नालाल पिता मांगीलाल जाति हरिजन	63(i)	68.60
85			देवसिह पिता मुन्नालाल जाति हरिजन	63(ii)	61.26
86			रामराज पिता देवीसिंह जाति सौधिया	64(i)	35.36
87			पप्पूसिह पिता देवीसिंह जाति सौधिया	64(ii)	51.38
88			पर्वतसिंह पिता देवीसिंह जाति सौधिया	64(iii)	42.35
89			मनोहर पिता देवीसिंह जाति सौधिया	64(iv)	80.40
90			देवीसिंह पिता मांगीलाल जाति सौधिया	64(v)	108.24
91			कुमेरसिंह पिता शिवसिंह जाति सौधिया	65	142.30
92			मांगीलाल पिता अमरसिंह जाति सौधिया	66(i)	26.40
93			जगदीश पिता अमरसिंह जाति सौधिया	66(ii)	26.40
94			कमलसिंह पिता अमरसिंह जाति सौधिया	66(iii)	26.40
95			सर्जनसिंह पिता अमरसिंह जाति सौधिया	66(iv)	26.40
96			मोहनलाल पिता अमरसिंह जाति सौधिया	66(v)	26.40
97			गुलाबसिंह पिता बापूलाल जाति सौधिया	67	66.74
98			मांगीलाल पिता बिहारीलाल जाति बैरागी	68	33.84
99			कलाबाई पत्नि हजारीलाल मुकेश पिता हजारीलाल जाति हरिजन	69	94.71
100			मांगीलाल पिता गोपीलाल जाति सौधिया	70	200.26
				कुल योग . .	12407.81
				कुल योग हेक्टेयर में . .	1.241

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़, जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तरूण कुमार पिथोड़े, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 19 अक्टूबर 2016

क्र. 924-भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा (11) की उपधारा (1) के उपबंधों के द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी के उक्त भूमि के संबंध में धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है.

पाटन-तेदुखेडा-रहली मार्ग का उन्नयन बी.ओ.टी. (टोल एन्युनिटी) योजनान्तर्गत ग्राम नीमी, तहसील पाटन, जिला जबलपुर की निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाना अतिआवश्यक है. अतः अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा (12) के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	पाटन	नीमी प.ह.नं. 26/59	0.630	अनुविभागीय अधिकारी, प्राधिकारी भू-अर्जन, पाटन.	पाटन-तेन्दुखेडा-रहली मार्ग के उन्नयन हेतु बी.ओ.टी. (टोल एन्युनिटी) योजनांतर्गत.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.jabalpur.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in भी देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पाटन एवं संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड़ डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेश चंद्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 9 नवम्बर 2016

प्र. क्र. 09-अ-82-15-16-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा. या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/माईनर

नहर/सब-माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण					धारा (12) की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का नाम
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	अरोली	514/मिन-1/787	0.090	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग क्रमांक 2, डबरा, जिला ग्वालियर.	हरसी उच्चस्तरीय नहर की आरोली शाखा नहर/उप शाखा नहर के निर्माण हेतु.
			योग . .	0.090		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गोयल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 15 नवम्बर 2016

पत्र क्र. 2402-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि बहुती नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामनगर	अरगट	1.100	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग देवलोंद, जिला शहडोल.	बहुती नहर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2404-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता

हूं. चूंकि बहुती नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामनगर	बिहारगंज	2.000	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध, संभाग देवलोंद, जिला शहडोल.	बहुती नहर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2406-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि बहुती नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामनगर	नौगाँव नं. 4	8.000	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध, संभाग देवलोंद, जिला शहडोल.	बहुती नहर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 21 नवम्बर 2016

प. क्र. 2480-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि क्योटी मुख्य नहर के सुपिया माइनर क्र. 1 एवं 2 नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	सुपिया 607	0.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	क्योंटी मुख्य नहर के सुपिया माइनर क्र. 1 एवं 2 नहर के निर्माण कार्य हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 17 नवम्बर 2016

क्र. 377-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	कोलहाई	0.120	कार्यपालन यंत्री, लो. नि.वि. (भ/स) संभाग क्रं. 1, रीवा.	लालगाँव सुदर्शन कालेज रोड एवं चौरी एप्रोच रोड का निर्माण.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (भ/स), संभाग क्र. 1, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 378-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	लालगाँव	0.630	कार्यपालन यंत्री, लो. नि.वि. (भ/स) संभाग क्रं. 1, रीवा.	लालगाँव सुदर्शन कालेज रोड एवं चौरी एप्रोच रोड का निर्माण.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (भ/स), संभाग क्र. 1, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 22 नवम्बर 2016

क्र. 617-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15-(1) 2014-सात-

शा.2ए, भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा लगभग (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	रामस्थान	0.137	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स), संभाग सतना (म. प्र.).	रामस्थान आदिवासी बस्ती से बारी का बगीचा मार्ग निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 618-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15-(1) 2014-सात-शा.2ए, भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा लगभग (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	अबेर	0.311	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स), संभाग सतना (म. प्र.).	रजरवार नई बस्ती पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 619-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15-(1) 2014-सात-शा.2ए, भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा लगभग (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	घुंघुचिहाई	0.097	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स), संभाग सतना (म. प्र.).	रामस्थान आदिवासी बस्ती से बारी का बगीचा मार्ग निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नरेश पाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 24 नवम्बर 2016

पत्र क्र. 6103-भू.-अर्जन-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	बटियागढ़	रामपुर	0.600	कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्या. दमोह.	जूड़ी मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य हेतु.
		कुल . .	0.600		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पथरिया एवं कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा, मुख्या. दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 24 नवम्बर 2016

क्र. 5062-दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 16-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः "भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	ब्यौहारी	उक्सा	1.428	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2, शहडोल (म. प्र.).	दुधरिया जलाशय योजना निर्माण से प्रभावित भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), ब्यौहारी, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश शुक्ल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 9 नवम्बर 2016

प्र. क्र. 02-अ-82-13-14-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—डबरा
(ग) ग्राम—कल्याणी
(घ) क्षेत्रफल—0.021 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
947	0.210
योग . .	0.210

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय नहर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लॉन) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

ग्वालियर, दिनांक 22 नवम्बर 2016

प्र. क्र. 05-अ-82-15-16-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—भितरवार
(ग) ग्राम—हरसी
(घ) क्षेत्रफल—0.129 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
253	0.014
254	0.115
योग . .	0.129

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय नहर के निर्माण हेतु शेष निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लॉन) का निरीक्षण, न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गोयल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 15 नवम्बर 2016

पत्र क्र. 2408-प्रका.-भू-अर्जन-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रामनगर
(ग) ग्राम—खोमरहा
(घ) क्षेत्रफल लगभग—3.437 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
70/1, 70/2/1/ख, 70/3, 70/4, 70/5	0.080

(1)	(2)
75	0.026
76/1, 76/2/क, 76/2/ख	0.192
77	1.207
78	0.291
79	0.599
80	0.071
81	0.658
91	0.313
योग . .	3.437

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत बहुती मुख्य नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 17 नवम्बर 2016

पत्र क्र. 2411-प्रका.-भू-अर्जन-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—रामनगर

(ग) ग्राम—डिगरहा

(घ) क्षेत्रफल लगभग—6.431 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
73	0.175
74	0.129
75	0.053
76	0.097
77	0.016
78	0.045
79	0.502
80	0.057
83/1, 83/2, 83/3, 83/4	0.008
94	0.540
95	0.057
96	0.642
97	0.121
98	0.023
100	0.084
116/1, 116/2	0.115
117/1, 117/2	0.122
119	0.012
122	0.133
123	0.016
124	0.287
125	0.530
126	0.024
127	0.270
128	0.024
129	0.158
130	0.140
132	0.541
133	0.105
134	0.028
135	0.008
136	0.065
137	0.049
138	0.028
139	0.049
142	0.024
143	0.069
159	0.024
160/1, 160/2	0.363
161	0.020
161/1, 162/2, 162/3, 162/4	0.368
163	0.036
164	0.077
165/1, 165/2	0.063

(1)	(2)
166/1, 166/2, 166/3, 166/4, 166/5, 166/6, 166/7	0.034
170	0.070
171	0.024
172	0.006
योग . .	6.431

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत बहुती मुख्य नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2413-प्रका.-भू-अर्जन-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—रामनगर

(ग) ग्राम—हिनौती

(घ) क्षेत्रफल लगभग—39.762 हेक्टेयर.

खसरा नं. (1)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
23/1/क, 23/1/ख/1, 23/1/ख/2, 23/1/ख/3, 23/1/ख/4, 23/1/1/क, 23/2/क/1, 23/2/क/2, 23/1/ख, 23/1/ग, 23/1/घ	0.407
25/1/क, 25/1/ख, 25/1/2, 25/2/2	0.536
26/1/1, 26/1/2, 26/2, 26/2/क, 26/3, 26/4	0.488
27/1, 27/2/क, 27/2/ख	0.013
30/1, 30/2, 30/3, 30/4	0.031
31	0.045
32/1, 32/2, 32/3, 32/4	0.046
33/1, 33/2	0.097
34/1, 34/2	0.844
35/1, 35/2	0.101
36/1, 36/2	0.057
37/1, 37/2	0.235
99	0.047
100/1, 100/2, 100/3	0.525
102/1, 102/2, 102/3	0.297
103/1/क, 103/1/ख, 103/2/9203 103/2/क, 103/2/ख, 103/2/ग	0.122
104/1, 104/2, 104/3, 104/4, 104/5, 104/6	0.730
105/1, 105/2	0.024
106/1/क/1, 106/1/क/2, 106/1/क/3, 106/1/क/4, 106/1/क/5, 106/1/ख, 106/2/क, 106/2/क/1, 106/2/क/2 106/2/क/3, 106/2/क/4, 106/2/क/5, 106/2/क/6, 106/2/ख	1.177
107/1, 107/2	0.324
108/1, 108/2	0.444
109/1, 109/2/1, 109/2/2, 109/3	0.348
110	0.093
111/1, 111/2, 111/3, 111/3/1, 111/3/2, 111/3/3, 111/4	0.605
112/1, 112/2, 112/3/1, 112/3/2, 112/3/3, 112/3/4, 112/3/5, 112/3/6, 112/4	0.250
116	0.790

(1)	(2)
117/1, 117/2	0.588
119	0.048
126	0.030
127	0.240
128	0.077
129	0.020
130	0.501
131, 131/1/2	0.219
132	0.514
133	0.036
134	0.045
135	0.016
136/1, 136/2	0.089
136/2/1, 137/2, 136/2/2, 137/2, 136/2/3, 137/2, 136/2/4, 137/2, 136/2/5, 137/2, 137/1, 137/2	0.017
138	0.014
139	0.040
140	0.015
141	0.237
142	0.266
144/1/क/1, 144/1/क/2, 144/1/ख, 144/1/ग, 144/2/क, 144/2/ख	0.945
145/1, 145/2	0.148
146/1, 146/2	0.004
152	0.026
157	0.010
158	0.259
159/1, 159/2	0.176
163/1/क, 163/1/ख, 163/1/ग, 163/2	0.148
164/1, 164/2, 164/3	0.021
477	0.037
478	0.024
479	0.069
480	0.016
481	0.081

(1)	(2)
482	0.54
483	0.016
484	0.117
485	0.140
486	0.320
487	0.211
488	0.138
489/1, 489/2	0.141
490	0.007
492	0.156
493/1, 493/2, 493/3, 493/4	0.136
494	0.170
495/1/ग, 495/1/ग/1, 495/1/घ, 495/2/1, 495/2/2	0.181
496/2/1, 496/2/2	0.128
497/1, 497/2	0.340
498/1/क, 498/2	0.350
499/1/क, 499/2, 499/2/ख	0.092
500/1, 500/2	0.117
501	0.065
502	0.316
503/1, 503/2	0.279
504/1, 504/2, 504/3	0.186
505	0.094
546	0.017
547/1/क, 547/1/ख, 547/2	0.206
548/1, 548/2	0.037
549	0.028
550	0.073
551	0.045
700	0.051
703	0.016
704	0.045
705	0.070
706	0.012
707/1, 707/2	0.097
708	0.097

(1)	(2)
709	0.267
710	0.350
711	0.040
712	0.175
713	0.036
714	0.57
715	0.085
716	0.295
717	0.077
718	0.053
719	0.047
720	0.081
721	0.008
725	0.004
726	0.020
727	0.060
728	0.073
873	0.237
874	0.121
875	0.220
876/1, 876/2	0.388
877/1, 877/2, 877/3	0.016
878	0.196
879/1, 879/2	0.081
880/1, 880/1/1, 880/1/2, 880/2	0.118
906/1, 906/2	0.595
908/1, 908/2	0.480
909/1, 909/2	0.285
910/1, 910/2	0.324
911	0.045
912	0.190
913/1, 913/2	0.112
914/1/क/1, 914/1/ख, 814/2	0.162
916/1, 916/2, 916/3	0.066
921/1, 921/2, 921/3	0.012
922/1, 922/2, 922/3	0.047

(1)	(2)
924	0.282
925, 925/1	0.086
926	0.012
927	0.460
928	0.166
929	0.158
930	0.061
931	0.197
932	0.026
967	0.021
968	0.115
969	0.115
988	0.258
989/1, 989/3	0.050
990/1, 990/2, 990/3, 990/4, 990/5	0.301
991/1, 991/2, 991/3, 991/4	0.954
992	0.093
993	0.024
994	0.117
995/1, 995/3	0.040
996/1, 996/3	0.205
997/1, 997/4	0.252
998/1, 998/3	0.133
999/1, 999/3	0.020
1000	0.341
1001	0.258
1002	0.214
1003	0.077
1004	0.274
1005/1, 1005/2	0.126
1006	0.085
1007/1, 1007/2/2	0.070
1009	0.148
1020	0.009
1021	0.031
1022	0.050

(1)	(2)
1029	0.062
1120	0.012
1121	0.024
1122	0.053
1124/1, 1124/2	0.133
1125, 1125/1, 1125/1/2, 1125/1/3, 1125/1/4, 1125/2/4, 1125/2/5	0.121
1126, 1126/1/1, 1126/1/2, 1126/1/3, 1126/1/4, 1126/2/4, 1126/2/5, 1127	0.178
1127/1/1, 1127/1/2, 1127/1/3 1127/1/4, 1127/2/4, 1127/2/5	0.174
1128	0.117
1129	0.081
1130	0.121
1131, 1131/1, 1131/2, 1131/3, 1131/4	0.265
1132	0.214
1144	0.517
1145	0.329
1146	0.032
1147	0.258
1151	0.070
1152	0.085
1153	1.23
1154/1, 1154/2	0.065
1155	0.142
1156	0.012
1157, 1157/1, 1157/2, 1157/3	0.207
1158/1, 1158/2, 1158/3	0.064
1159/1, 1159/2	0.080
1160	0.190
1161	0.125
1162	0.336
1163	0.029
1164	0.129
1165	0.028
1166	0.138
1179/1, 1179/2	0.039
1183	0.109
1192/1, 1192/2	0.299
1193	0.062
1194	0.028
1195	0.299
1196	0.020
1197	0.030
1198	0.025
1202/1, 1202/2, 1202/3/1 1202/3/2, 1202/4/1, 1202/4/2	0.695
1203/1, 1203/1/क/1, 1203/1/क/2, 1203/2, 1203/2/1/2	1.530
1204/1, 1204/2/क, 1204/2/ख	0.364
1205, 1205/1	0.194
योग . .	39.762

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत बहुती मुख्य नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 23 नवम्बर 2016

क्र. 2484-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—सेमरिया

(ग) ग्राम—पुरैनी 379
(घ) क्षेत्रफल लगभग—4.581 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
37	0.036
38	0.113
39	0.012
40	0.185
41	0.008
58	0.024
59	0.028
60	0.174
61	0.042
62	0.128
63	0.096
64	0.041
65	0.064
66	0.008
82	0.032
84	0.028
85	0.056
86	0.144
111	0.028
112	0.028
116	0.008
118	0.041
119	0.061
120	0.104
126	0.068
127	0.081
132	0.008
133	0.072
134	0.036
135	0.064
136	0.111
137	0.124
170	0.021
171	0.108
(1)	(2)
174	0.101
175	0.081
177	0.241
178	0.008
194	0.076
195	0.016
197	0.061
198	0.044
199	0.040
200	0.049
220	0.004
221	0.081
222	0.049
223	0.032
225	0.028
226	0.104
227	0.021
228	0.010
229	0.008
251	0.012
252	0.032
253	0.016
469	0.016
470	0.046
471	0.008
472	0.072
473	0.012
481	0.096
482	0.159
483	0.032
484	0.026
487	0.036
488	0.004
503	0.067
504	0.028
505	0.004
506	0.024
507	0.109

(1)	(2)
508	0.004
510	0.049
517	0.012
522	0.012
523	0.036
524	0.048
525	0.045
528	0.085
529	0.081
530	0.016
552	0.041
556	0.049
557	0.032
559	0.036
योग . .	4.581

ब-शासकीय भूमि की भूमि

योग . .	–
योग . . अ+ब	
योग . .	4.581

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत "चचाई वितरक नहर की पुरैनी सब-माइनर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2486-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—हुजूर

(ग) ग्राम—पुरैनी 378

(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.543 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
32	0.049
34	0.100
35	0.004
36	0.036
37	0.072
38	0.036
39	0.032
40	0.008
41	0.117
42	0.012
45	0.036
46	0.004
47	0.016
48	0.021
योग . .	0.543
ब-म. प्र. शासन की भूमि	
–	–
योग . .	–
अ + ब का योग . .	0.543

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत "चचाई वितरक नहर की कंजी सब-माइनर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2488-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—सेमरिया

(ग) ग्राम—कन्जी
(घ) क्षेत्रफल लगभग—2.029 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
166	0.251
167	0.012
168	0.065
169	0.096
171	0.046
222	0.072
224	0.012
229, 230, 231, 232	0.004
235	0.012
236	0.042
237	0.020
239	0.012
240	0.054
241	0.024
243	0.121
244	0.008
249	0.052
250	0.059
251	0.044
258	0.028
259	0.144
260	0.144
261	0.016
288	0.049
289	0.008
290	0.049
291	0.056
292	0.013
293	0.016
294	0.013
295	0.188
297	0.004
304	0.021
305	0.041
307	0.121
308	0.021
309	0.091
योग . .	2.029
ब-म. प्र. शासन की भूमि	
–	–
योग . .	–
अ + ब का योग . .	2.029

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत "चचाई वितरक नहर की कंजी सब-माइनर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2490-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—हुजूर
(ग) ग्राम—रहट
(घ) क्षेत्रफल लगभग—2.306 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
1158	0.013
1363	0.041
1562	0.269
1563	0.084
1572	0.008
1573	0.041

(1)	(2)
1574	0.013
1589	0.049
1590	0.097
1591	0.101
1600	0.079
1601	0.012
1602	0.049
1604	0.072
1731	0.020
1745	0.318
1746	0.081
1748	0.124
1749	0.016
1750	0.085
1751	0.024
1752	0.085
1754	0.021
1775	0.127
1776	0.004
1778	0.271
1780	0.202
योग . .	2.306

ब-म. प्र. शासन की भूमि

–	–
योग . .	–
योग अ + ब . .	–
योग . .	2.306

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत "चचाई वितरक नहर की रहट सब-माइनर नं. 4 में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2492-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—सेमरिया

(ग) ग्राम—मऊ कोठार

(घ) क्षेत्रफल लगभग—1.669 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
318	0.259
322	0.064
323	0.051
324	0.131
327	0.124
328	0.041
357	0.020
358	0.032
361	0.020
3620	0.112
363	0.039
417	0.065
474	0.024
475	0.065
484	0.032
485	0.004
486	0.041
487	0.048
488	0.032
489	0.004
533	0.032
536	0.032
538	0.084
539	0.144
564	0.016
565	0.008
योग . .	1.524

(1)	(2)
ब-म. प्र. शासन की भूमि	
326	0.032
419	0.081
420	0.028
474	0.004
योग . .	0.145
योग अ + ब . .	–
योग . .	1.669

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत "चचाई वितरक नहर की मऊ सब-माइनर नं. 2 में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2494-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—हुजूर

(ग) ग्राम—अमवा ज. नं. 8

(घ) क्षेत्रफल लगभग—1.505 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
298	0.028
393	0.105
396	0.110
397	0.008
399	0.108
403	0.062
404	0.096
406	0.117
407	0.008
418	0.062
419	0.012
427	0.012
428	0.091
431	0.028
432	0.081
433	0.004
1545	0.040
1546	0.028
1547	0.008
1549	0.004
1550	0.008
1553	0.076
1577	0.044
1580	0.061
1581	0.004
1583	0.028
1584	0.039
1626	0.144
1629	0.077
योग . .	1.493
ब-म. प्र. शासन की भूमि	
91	0.012
योग . .	0.012
योग अ + ब . .	–
योग . .	1.505

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत "चचाई वितरक नहर की अमवा सब-माइनर नं. 2 में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2496-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास

और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—सेमरिया

(ग) ग्राम—मोहरवा कोठार (482)

(घ) क्षेत्रफल लगभग—2.364 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
36	0.044
54	0.087
55	0.058
57	0.091
58	0.115
59	0.049
61	0.021
67	0.067
114	0.004
115	0.063
116	0.012
117	0.088
118	0.008
120	0.037
121	0.049
122	0.072
149	0.093
150	0.105
151	0.121
152	0.101
153	0.008
154	0.012
155	0.012
233	0.004
234	0.008
235	0.004
236	0.020
237	0.004
238	0.081
240	0.049
243	0.008
244	0.061
245	0.151
246	0.036
247	0.065
416	0.024
418	0.016
419	0.079
421	0.089
422	0.056
427	0.039
428	0.028
429	0.036
499	0.004
504	0.044
505	0.125
योग . .	2.348
ब-म. प्र. शासन की भूमि	
239	0.016
योग . .	0.016
योग अ + ब . .	–
योग . .	2.364

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत "चचाई वितरक नहर की भलुहा सब-माइनर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 21 नवम्बर 2016

क्र. 10033-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—पाण्ढुर्णा

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-तीगांव, प.ह.नं. 17, ब.नं. 177, रा.नि.मं.-पाण्ढुर्णा, तहसील पाण्ढुर्णा,

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.517 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(1) प्रस्तावित खसरा नम्बर	(2) प्रस्तावित रकबा (हे. में)	
(1)	(2)	
359/1	0.134	
359/3	0.078	
613	0.004	
634	0.090	
632	0.175	
362/1	0.036	
योग . .	0.517	हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—तीसरी रेलवे लाइन तीगांव-चींचोड़ा घाट (16.53 कि.मी.) निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-पाण्ढुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण उप-मुख्य अभियंता (निर्माण) मध्य रेल नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शो (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यकारी इंजीनियर (निर्माण) मध्य रेल नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 10034-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—पाण्ढुर्णा

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-चिकनी, प.ह.नं. 17, ब.नं. 125, रा.नि.मं.-पाण्ढुर्णा, तहसील पाण्ढुर्णा,

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.379 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हे. में)	
(1)	(2)	
52	0.084	
50/2	0.073	
48	0.032	
269	0.007	
270/1	0.012	
270/4	0.042	
271	0.129	
योग . .	0.379	हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—तीसरी रेलवे लाइन तीगांव-चींचोड़ा घाट (16.53 कि.मी.) निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-पाण्ढुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण उप-मुख्य अभियंता (निर्माण) मध्य रेल नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यकारी इंजीनियर (निर्माण) मध्य रेल नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

Jabalpur, the 10th November 2016

No. 1131-Confdl.-2016-II-3-1-2016.—The Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur is conducting **Workshop on-Key issues of recent laws relating to crime against women & chaildren including Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 for Judicial Magistrates dealing cases under the Act on 10th December 2016 in the Academy, Judges, whose names and postings figure in the endorsement, are directed to attend the aforesaid Workshop.**

Conditions for the Workshop :—

1. Barring exceptional circumstances, the participants nominated for the **Workshop** shall not pray for adjustment.

2. The participants are directed to arrange their Board Diaries in such a manner that no case is listed on the dates on which they are directed to attend this Workshop. If cases have already been fixed for the same dates, summons should not be issued. However, if summons have already been issued, the parties should be informed about the change in dates.

3. The participants shall report by 9.30 a. m. on 10 December 2016 in the Lecture Room of Madhya Pradesh State Judicial Academy, Jabalpur.

4. The participants shall come soberly dressed during entire duration of the Workshop. Proper attire with blazer/coat/suit would be required for group photograph.

5. T. A. & D. A. of the participants is reimbursable only as per Government Rules.

6. The Academy shall endeavour to make best possible arrangements for reception, lodging and boarding of the participants in the Guest House of the Academy.

   Date, mode and time of arrival of the participants may be conveyed to **Shri Pramod Kumar Chaturvedi,** A. G. I on Mobile No. 08878747939 or to **Shri Gyan Prakash Tekam,** A. G. III on telephone No. 0761-2628679 or to **Shri Pramod Kushwaha,** A. G. III on Mobile No. 09713717147 at least a day in advance, so that proper arrangement for their reception may be made.

   It may however be noted that the participants will have to make arrangement to carry their baggage to the parked vehicles. The official vehicle of the State Judicial Academy shall remain parked at the Main Entrance of Railway Station, Jabalpur (Platform No. 1 only) as per the programme conveyed by the participants in advance.

   Arrangement of vehicle will not be made without prior intimation of arrival and departure programme received from the participants.

7. The participants in need of care shall be accommodated on the ground floor of the Guest House on prior intimation. The participants in need of special care may, with prior permission of the Academy, stay at accommodation of their choice. In such a case participants shall be entitled to T. A. & D. A. as per rules. Kindly note that it would not be possible for the Academy to make arrangement for pick up and drop back to such place of their choice.

8. The accommodation in the Guest House of the Academy shall be available to the participants only from 12.00 noon of preceding day of commencement of Workshop and upto 12.00 noon on the succeeding day of the end of Workshop.

9. The participants shall be provided with tea, breakfast, lunch and dinner during their period of stay for the Workshop free of charge, as per the rules of the Academy.

10. The participants shall send atleast three article/presentation/research paper/judgment/order authored by them relevant to the subject for sharing and discussion in the Workshop only on official email of the State Judicial Academy i. e. **mpsja@mphc.in** atleast three days prior to the schedule of Workshop. **Please do not sent hard copies of the same.**

By order of Honble the Acting Chief Justice
MANOHAR MAMTANI, Registrar General.

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 16 नवम्बर 2016

क्र. C-4592-दो-3-1-36(भाग-सात).—संविधान की धारा 229(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम 12 के अन्तर्गत माननीय मुख्य न्यायाधिपति द्वारा निम्न सारणी के रजिस्ट्रार (मिनिस्ट्रियल), बजट ऑफिसर, ज्वाईंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल) एवं डिप्टी रजिस्ट्रार को उनके द्वारा धारित स्थानापन्न पद पर दिनांक 10-11-2016 से संबंधित काडर में निम्नानुसार स्थायी किया जाता है:—

आदेशानुसार क्रम	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना का स्थान
	रजिस्ट्रार (मिनिस्ट्रियल)	
1	श्री व्ही. बी. सिंह	इंदौर
	बजट ऑफिसर	
1	श्री ए. व्ही. मण्डलोई	इंदौर
	ज्वाईंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल)	
1	श्री अजय पवार	जबलपुर
	डिप्टी रजिस्ट्रार	
1	श्री के. के. पिठवे	जबलपुर
2	श्रीमती ज्योत्सना मंगतानी	जबलपुर
3	श्री आर. के. शर्मा	इंदौर
4	श्रीमती रिया त्रिपाठी	ग्वालियर
5	श्री मुकेश द्विवेदी	जबलपुर

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
मनोहर ममतानी, रजिस्ट्रार जनरल.

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH, JABALPUR
ORDER

Jabalpur, the 21st November 2016

No. 1141-Confdl.-2016-II-2-1-2016.—The Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur is conducting **Workshop on-Key issues under the Prevention of Corruption Act, 1988** for Special Judges dealing cases under the Act on **17th December 2016 & 18th December 2016** in the Academy, Judges, whose names and postings figure in the **endorsement, are directed to attend the aforesaid Workshop.**

Conditions for the **Workshop** :—

1. Barring exceptional circumstances, the participants nominated for the Workshop shall not pray for adjustment.

2. The participants are directed to arrange their Board Diaries in such a manner that no case is listed on the dates on which they are directed to attend this Workshop. If cases have already been fixed for the same dates, summons should not be issued. However, if summons have already been issued, the parties should be informed about the change in dates.

3. The participants shall report by 9.30 a.m. on 17th December 2016 in the Lecture Room of Madhya Pradesh State Judicial Academy, Jabalpur.

4. The participants shall come soberly dressed during entire duration of the Workshop. Proper attire with blazer/coat/suit would be required for group photograph.

5. T. A. & D. A. of the participants is reimbursable only as per Government Rules.

6. The Academy shall endeavour to make best possible arrangements for reception, lodging and boarding of the participants in the Guest House of the Academy.

   Date, mode and time of arrival of the participants may be conveyed to **Shri Pramod Kumar Chaturvedi,** A. G. I on Mobile No. 08878747939 or to **Shri Gyan Prakash Tekam,** A. G. III on telephone No. 0761-2628679 or to **Shri Pramod Kushwaha,** A. G. III on Mobile No. 09713717147 at least a day in advance, so that proper arrangement for their reception may be made.

   It may however be noted that the participants will have to make arrangement to carry their baggage to the parked vehicles. The official vehicle of the State Judicial Academy shall remain parked at the Main Entrance of Railway Station, Jabalpur (Platform No. 1 only) as per the programme conveyed by the participants in advance.

   Arrangement of vehicle will not be made without prior intimation of arrival and departure programme received from the participants.

7. The participants in need of care shall be accommodated on the ground floor of the Guest House on prior intimation. The participants in need of special care may, with prior permission of the Academy, stay at accommodation of their choice. In such a case participants shall be entitled to T. A. & D. A. as per rules. Kindly note that it would not be possible for the Academy to make arrangement for pick up and drop back to such place of their choice.
8. The accommodation in the Guest House of the Academy shall be available to the participants only from 12.00 noon of preceding day of commencement of Workshop and upto 12.00 noon on the succeeding day of the end of Workshop.
9. The participants shall be provided with tea, breakfast, lunch and dinner during their period of stay for the Workshop free of charge, as per the rules of the Academy.
10. The participants shall send atleast three article/presentation/research paper/judgment/order authored by them relevant to the subject for sharing and discussion in the Workshop only on official email of the State Judicial Academy i.c. **mpsja@mphc.in** atleast three days prior to the schedule of Workshop. **Please do not sent hard copies of the same.**

By order of Honble the Acting Chief Justice
MANOHAR MAMTANI, Registrar General.

जबलपुर, दिनांक 15 नवम्बर 2016

क्र. B-5348-दो-2-28-2014.—श्री व्ही. पी. एस. चौहान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी को दिनांक 15 से 19 नवम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 12 से 14 नवम्बर 2016 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. पी. एस. चौहान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी को सीधी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री व्ही. पी. एस. चौहान, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B-5355-दो-2-18-2015.—श्री एस. के. शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी को दिनांक 2 से 5 नवम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 28 अक्टूबर से 1 नवम्बर 2016 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 6 नवम्बर 2016 सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी को सिवनी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B-5357-दो-2-24-2015.—श्री मोहम्मद युसूफ मंसूरी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सीहोर को दिनांक 26 से 30 नवम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री मोहम्मद युसूफ मंसूरी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मोहम्मद युसूफ मंसूरी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 23 नवम्बर 2016

क्र. E-3862-दो-2-32-2014.—श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को दिनांक 24 अक्टूबर 2016 का एक दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 24 नवम्बर 2016

क्र. A-4574-दो-2-29-2014.—श्री एस. एस. गर्ग, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मुरैना को दिनांक 2 से 5 नवम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री एस. एस. गर्ग, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. एस. गर्ग, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A-4576-दो-2-59-2016.—श्री अरूण कुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सतना को दिनांक 2 से 3 दिसम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A-4585-दो-2-6-2016.—श्री आलोक कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को दिनांक 3 से 4 नवम्बर 2016 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री आलोक कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आलोक कुमार वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A-4587-दो-2-56-2014.—श्री ऋषभ कुमार सिंघई, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को दिनांक 19 नवम्बर 2016 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 20 नवम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री ऋषभ कुमार सिंघई, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ऋषभ कुमार सिंघई, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. E-3874-दो-2-56-2014.—श्री ऋषभ कुमार सिंघई, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को दिनांक 28 नवम्बर से 7 दिसम्बर 2016 तक दोनों सम्मिलित करते हुए दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 27 नवम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री ऋषभ कुमार सिंघई, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ऋषभ कुमार सिंघई, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. E-3877-दो-2-8-2012.—श्रीमती सुनीता यादव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को दिनांक 26 से 27 दिसम्बर 2016 तक दो दिन का शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 28 से 31 दिसम्बर 2016 तक चार दिन अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 जनवरी 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की गई है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुनीता यादव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को अशोकनगर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

शीतकालीन/अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती सुनीता यादव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 22 नवम्बर 2016

क्र. B-5512-दो-3-130-2009.—श्री आनन्द व्ही. मण्डलोई, बजट अधिकारी, उच्च न्यायालय, इन्दौर खण्डपीठ, इन्दौर का दिनांक 13 से 20 अक्टूबर 2016 तक आठ दिन का पूर्व स्वीकृत अर्द्धवैतनिक अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है.

क्र. A-4513-दो-2-8-2015.—श्रीमती रिया त्रिपाठी, डिप्टी रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर को दिनांक 28 नवम्बर से 16 दिसम्बर 2016 तक दोनों सम्मिलित करते हुए उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 27 नवम्बर 2016 के तथा अवकाश के

पश्चात् में दिनांक 17 एवं 18 दिसम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती रिया त्रिपाठी, डिप्टी रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती रिया त्रिपाठी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहतीं

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 11 नवम्बर 2016

क्र. C-4511-तीन-10-42-75.—मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि श्रीमती ज्योति विनोदिया वर्मा, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला अपने घोषित कार्यस्थल के अतिरिक्त नैनपुर में प्रत्येक माह में 7 दिवस की अवधि के लिये श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगी.

No. C-4511-III-10-42-75.—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that Smt. Jyoti Vinodiya Verma, II Additional District Judge, Mandla shall also hold sitting at Nainpur in addition to her place of sitting for the period of 7 days in a month for holding Link Court.

जबलपुर, दिनांक 18 नवम्बर 2016

क्र. C-5441-तीन-10-42-75.—मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि श्री लीलाधर सोलंकी, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन जिनको अपने घोषित कार्यस्थल, उज्जैन के अतिरिक्त प्रत्येक माह में 15 दिवस हेतु महिदपुर में श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करने हेतु निर्देशित किया गया है. अब अपने घोषित कार्यस्थल, उज्जैन में ही बैठक करेंगे.

उज्जैन-महिदपुर श्रृंखला न्यायालय की बैठक एतद्द्वारा समाप्त की जाती है.

No. C-5441-III-10-42-75.—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that Shri Liladhar Solanki, Second Additional District Judge, Ujjain, who was directed to hold sitting at Mahidpur in addition to his place of posting, Ujjain for the period of 15 days, will now hold sitting at his place of Posting Ujjain only.

The sitting of Ujjain-Mahidpur Link Court is hereby discontinused.

क्र. B-5443-तीन-10-42-75.—मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि निम्न तालिका के कॉलम क्रमांक (3) में वर्णित न्यायिक अधिकारी अपने घोषित कार्यस्थल के अतिरिक्त कॉलम क्रमांक (2) में वर्णित स्थानों पर प्रत्येक माह में कॉलम क्रमांक (4) में वर्णित अवधि के लिये श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे.

No. B-5443-III-10-42-75.—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that the Judicial Officer named in the column No. (3) of the following table shall also hold sitting at place mentioned in the column No. (2) of the table in addition to his place of sitting for the period mentioned in the column No. (4) for holding Link Court.

S. No.	Places, where Link Court is to be held	Name of the Officer and designation	No. of Days for the Link Court
(1)	(2)	(3)	(4)
-	Baihar	Shri Makhanlal Jhod, II ADJ, Balaghat.	1 week in a month

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
विवेक सक्सेना, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (डी. ई.).